वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2010-2011

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

संसदीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
Ministry of Parliamentary Affairs
New Delhi

वार्षिक प्रतिवेदन

2010-2011

.....

हिंदी रूपांतर

.....

विषय वस्तु

		पृष्ठ
अध्याय-1	**प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना**	**1-4**
	(क) प्रस्तावना	1
	(ख) संगठनात्मक संरचना	3
	(ग) संगठनात्मक चार्ट	4
अध्याय-2	**संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान**	**5-7**
	(क) सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान	5
	(ख) सत्र	6
	(i) बुलाया जाना	6
	(ii) सत्रावसान	6
	(ग) लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें (पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)	7
अध्याय-3	**राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश**	**8-13**
	(क) राष्ट्रपति का अभिभाषण	8
	(ख) अध्यादेशों के बारे में प्रावधान	9
	(ग) अध्यादेश	9-10
	(घ) वर्ष 1952 – 31.12.2010 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश	11
अध्याय-4	**संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण**	**14-20**
	(क) सरकारी कार्य	14
	(ख) सरकारी कार्य की आयोजना	14-15
	(ग) सरकारी कार्य का प्रबंधन	16
	(घ) निष्पादित सरकारी कार्य का सार	16
	(i) विधायी	16
	(ii) वित्तीय	16-17
	(iii) बजट	17
	(iv) अन्य सरकारी कार्य	17
	(अ) मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव	17-18
	(आ) स्वीकृत सरकारी सांविधिक संकल्प	18
	(ङ) सरकारी समय का मुख्य आबंटन	18

	(च) व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	19

	(छ) अन्य गैर-सरकारी कार्य	19
	(ज) बैठकों की संख्या	20
अध्याय-5	**गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य**	21-27
	(क) लोक सभा	21
	(i) नियम 193 के अंतर्गत चर्चा	21-22
	(ख) राज्य सभा	22
	(i) नियम 176 के अंतर्गत चर्चा	22-23
	(ii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा	23
	(ग) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख	24
	(घ) दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	24-25
	(ङ) दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	25
	(च) संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2010 के दौरान पारित किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	26-27
	(छ) लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प	27
अध्याय-6	**आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)**	28-32
	(क) सामान्य प्रक्रिया	28-29
	(ख) लोक सभा	29-30
	(ग) राज्य सभा	30-32
	(घ) लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई	32
	(ङ) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन	32
अध्याय-7	**लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख**	33-35
	(क) नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले	33
	(ख) नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख	33-34

	(ग) अनुवर्ती कार्रवाई	34-35
	(घ) प्रश्न काल (शून्य काल) के पश्चात उठाए गए मामलों पर कार्रवाई	35

अध्याय-8	**परामर्शदात्री समितियां**	36-39
अध्याय-9	**सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान**	40-46
	(क) संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के विदेश दौरे	40-44
	(ख) विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन	45
	(ग) संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठकें	45-46
	(घ) संसद सदस्यों के विदेश दौरे	46
	(ङ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति	46
	(च) विदेश दौरों के लिए राज्य सरकार को अनुमति/अनापत्ति	46
अध्याय-10	**युवा संसद योजना**	47-58
	(क) प्रस्तावना	48
	(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता	48
	(i) 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम	48-49
	(ii) 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता	49-50
	(iii) 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	50-51
	(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	51
	(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम	51-52
	(ii) 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	52
	(iii) 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	52-53
	(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद	

	प्रतियोगिता	53
	(i) 12वीं और 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	53-55

	(ii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम।	55-56
	(iii) जवाहर नवोदय विद्यालयों में 14वीं युवा संसद प्रतियोगिता	56
	(ङ) विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता	56
	(i) अभिविन्यास पाठ्यक्रम	56
	(ii) पुरस्कार वितरण समारोह	56-57
	(च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	57
	(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण	57-58
अध्याय-11	**मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग**	59-62
अध्याय-12	**सामान्य**	63-71
	(क) सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	63
	(ख) हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	63
	(ग) संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	64
	(घ) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	65
	(ङ) संसद सदस्यों का कल्याण	65-66
	(च) संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था	66-67
	(छ) फिल्म शो	67
	(ज) महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य	67
	(झ) नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान	67
	(ञ) वर्ष के दौरान आयोजित संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठकें	67
	(ट) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन	68
	(ठ) केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	68-69

	(ड) अनुसंधान कार्य	69
	(ढ) बजट स्थिति	70
	(ण) वित्तीय वर्ष 2010-11 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति	71
	(त) अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप	71

(v)

परिशिष्ट

		पृष्ठ
परिशिष्ट-1	संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य	72-73
परिशिष्ट-2	दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	74-77
परिशिष्ट-3	15वीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 221वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लम्बित सरकारी विधेयकों की सूची	78-81
परिशिष्ट-4	दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान रेल, सामान्य बजटों तथा राज्य बजटों पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण	82-86
परिशिष्ट-5	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण	87-89
परिशिष्ट-6	दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	90-95
परिशिष्ट-7	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितंबर, 2005 में बनाए गए संशोधित दिशा-निर्देश	96-102
परिशिष्ट-8	उन मंत्रालयों की सूची, जिनके लिए 15वीं लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं	103-104
परिशिष्ट-9	परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय	105-111
परिशिष्ट-10	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन	112-116
परिशिष्ट-11	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन	117-122
परिशिष्ट-12	दिनांक 1.10.2010 की स्थिति के अनुसार संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण	123-128
परिशिष्ट-13	पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं	129-130

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समय और संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन पर व्यय होता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बृहत जिम्मदारियों और कार्यों के साथ यह शीघ्र ही एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है।

1.4 मंत्रालय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। यह निगरानी विधेयकों के मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन की अवस्था से लेकर विधेयक के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने तक रखी जाती है। संसद में विधेयकों के पारित होने संबंधी कार्रवाई के सुचारू रूप से पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय भारत सरकार के मंत्रालयों से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों ही के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। 15वीं लोक सभा के गठन के पश्चात, विभिन्न मंत्रालयों से संबंद्ध 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंधों को बनाने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, भारत सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के अन्य देशों के दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत के दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबीनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है, उनकी सहायतार्थ दो राज्य मंत्री हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, कैबिनेट मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के नाम इत्यादि निम्न प्रकार हैं :-

I. मंत्री जिन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला

1. श्री पवन कुमार बंसल,
   कैबिनेट मंत्री - दिनांक 28.5.2009 से आगे

2. श्री वी. नारायणसामी,
   राज्य मंत्री - दिनांक 28.5.2009 से आगे

3. श्री पृथ्वीराज चव्हाण,
   राज्य मंत्री - दिनांक 28.5.2009 से 10.11.2010 तक

संसदीय कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (31 दिसंबर, 2010 की स्थिति के अनुसार)

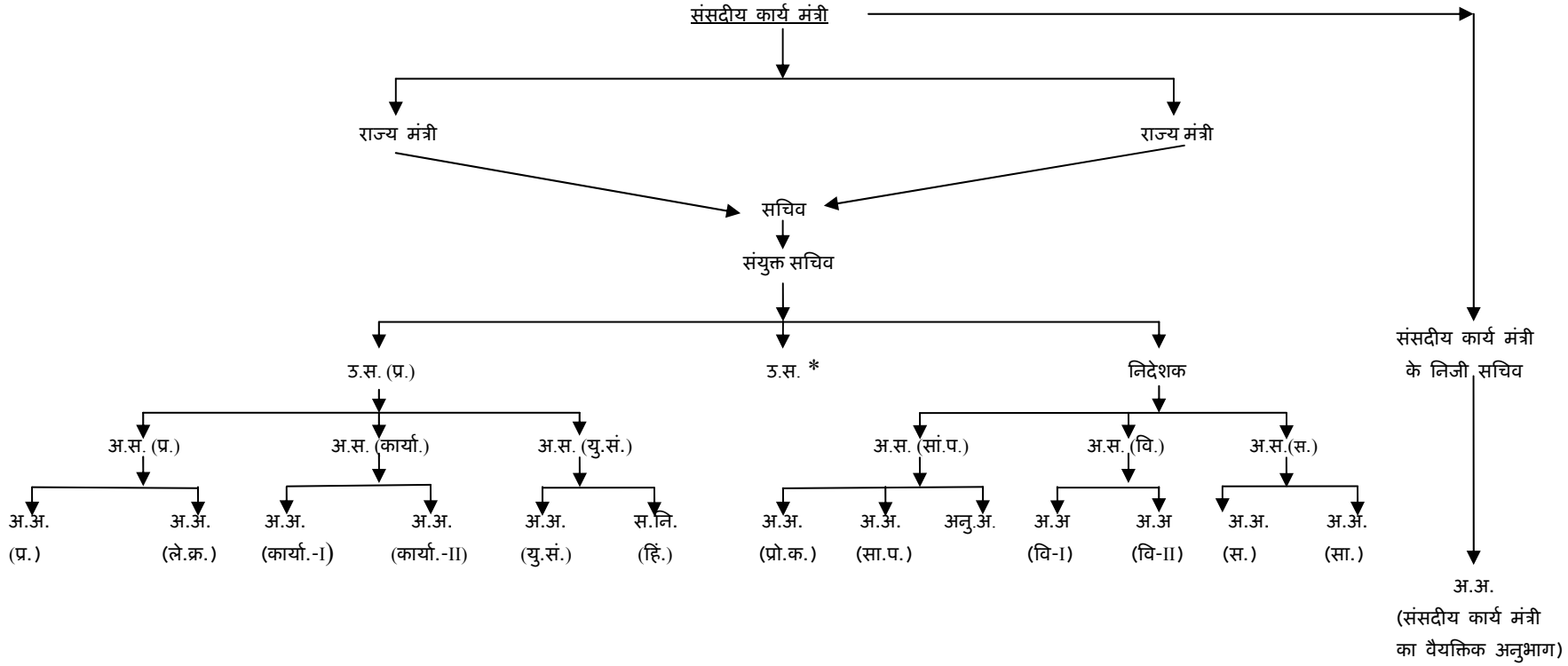

आख्यान

उ.स. - उप सचिव	* पद रिक्त है।	प्र. - प्रशासन	सा. - सामान्य
अ.स. - अवर सचिव		वि. - विधायी	स. - समिति
अ.अ. - अनुभाग अधिकारी		यु.सं. - युवा संसद	सां.प. - सांसद परिलब्धियां
स.नि. - सहायक निदेशक		कार्या.- कार्यान्वयन	ले.क्र. - लेखा और क्रय
अनु.अ. - अनुसंधान अधिकारी		हि. - हिंदी	प्रो.क. – प्रोटोकॉल और कल्याण

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

<u>एक झलक</u>

- 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान तीन सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक की 81 बैठकें हुई।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक के तीन-तीन सत्र बुलाए गए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठक**	**दिन**
चौथा	22 फरवरी, 2010 से 7 मई, 2010	32	75
पांचवां	26 जुलाई, 2010 से 31 अगस्त, 2010	26	37
छठा	9 नवंबर, 2010 से 13 दिसंबर, 2010	23	35
राज्य सभा			
219वां	22 फरवरी, 2010 से 7 मई, 2010	32	75
220वां	26 जुलाई, 2010 से 31 अगस्त, 2010	26	37
221वां	9 नवंबर, 2010 से 13 दिसंबर, 2010	23	35

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

पंद्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
चौथा	7 मई, 2010	11 मई, 2010
पांचवां	31 अगस्त, 2010	3 सितंबर, 2010
छठा	13 दिसंबर, 2010	17 दिसंबर, 2010
राज्य सभा		
219वां	7 मई, 2010	11 मई, 2010
220वां	31 अगस्त, 2010	3 सितंबर, 2010
221वां	13 दिसंबर, 2010	17 दिसंबर, 2010

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने

तथा उसके विघटन की तारीखों का विवरण (पहली से पंद्रहवीं लोक सभा)					
लोक सभा	**मतदान की अंतिम तारीख**	**गठन की तारीख**	**पहली बैठक की तारीख**	**कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]**	**भंग होने की तारीख**
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.52	02.04.52	13.05.52	12.05.57	04.04.57
दूसरी	15.03.57	05.04.57	10.05.57	09.05.62	31.03.62
तीसरी	25.02.62	02.04.62	16.04.62	15.04.67	03.03.67
चौथी	21.02.67	04.03.67	16.03.67	15.03.72	*27.12.70
पांचवी	10.03.71	15.03.71	19.03.71	18.03.77	*18.01.77
छठी	20.03.77	23.03.77	25.03.77	24.03.82	*22.08.79
सातवीं	06.01.80	10.01.80	21.01.80	20.01.85	31.12.84
आठवीं	28.12.84	31.12.84	15.01.85	14.01.90	27.11.89
नौंवी	26.11.89	02.12.89	18.12.89	17.12.94	*13.03.91
दसवीं	15.06.91	20.06.91	09.07.91	08.07.96	10.05.96
ग्यारहवीं	07.05.96	15.05.96	22.05.96	21.05.2001	*04.12.97
बारहवीं	07.03.98	10.03.98	23.03.98	22.03.2003	*26.04.99
तेरहवीं	04.10.99	10.10.99	20.10.99	19.10.2004	*06.02.04
चौदहवीं	10.05.04	17.05.04	02.06.04	01.06.2009	18.5.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.5.2009	1.6.2009	31.5.2014	

*1. मध्यावधि चुनाव हुए, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कालम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक कि उन मामलों पर जिनका अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 कलैंडर वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में दिनांक 22 फरवरी, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया गया। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

15वीं लोक सभा का चौथा सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री इंद्रजीत सिंह राव (प्रस्तावक) कुमारी मीनाक्षी नटराजन (अनुमोदक)	3, 4 और 5 मार्च, 2010 **(स्वीकृत)**
राज्य सभा का 219वां सत्र	
प्रो. पी.जे. कुरियन (प्रस्तावक) श्री संतोष बागड़ोदिया (अनुमोदक)	3, 4 और 5 मार्च, 2010 **(स्वीकृत)**

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.4 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जबकि संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हो, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: सत्रारम्भ से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इन संकल्पों के दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभाव हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.5 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.6 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.7 दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान, 4 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन 4 अध्यादेशों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर की एक-एक प्रति संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के पटलों पर रखी गई। उनके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापन इत्यादि की तारीखों संबंधी विभिन्न ब्यौरों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	अध्यादेश का शीर्षक और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख	अध्यादेश के प्रतिस्थापक	विधेयक पर विचार करने और पारित करने की तारीख	स्वीकृति की तारीख और

		लोक सभा	राज्य सभा	विधेयक का पुरःस्थापन	लोक सभा	राज्य सभा	अधिनियम संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्या 1) (23.1.2010)	22.2.2010	22.2.2010	11.3.2010 (लो.स.)	15.3.2010	16.3.2010	29.3.2010 2010 का 10
2	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्या 2) (15.5.2010)	27.7.2010	27.7.2010	5.8.2010 (लो.स.)	13.8.2010 20.8.2010	26.8.2010	4.9.2010 2010 का 32
3	प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्या 3) (18.6.2010)	27.7.2010	27.7.2010	27.7.2010 (लो.स.)	2.8.2010	9.8.2010	20.8.2010 2010 का 26
4*	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 (2010 का संख्या 4) (2.7.2010)	27.7.2010	27.7.2010	2.8.2010 (लो.स.)	27.8.2010	-	-

* अध्यादेश व्यपगत हो गया क्योंकि इसे अनुबंधित अवधि के दौरान अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका।

3.8 क्र.सं. 1, 2 और 3 पर उल्लिखित अध्यादेशों के संबंध में अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प केवल लोक सभा में प्रस्तुत किए गए।

3.9 राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2010 तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या	वर्ष	प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या
1952	09	1953	07

1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09
1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04		

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक

	11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979: कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979 तक और चौधरी चरण सिंह दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा दिनांक 1 जून, 1996 से 21

	अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक: भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एन.डी.ए. (श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	22 मई, 2009 भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन -II (डॉ. मनमोहन सिंह 22 मई, 2009 से आगे)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

एक झलक

- वर्ष 2010-11 के लिए रेल बजट दिनांक 24 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2010-11 के लिए सामान्य बजट दिनांक 26 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 43 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसद के समक्ष मुख्य कार्य, किसी भी संसदीय प्रजातंत्र में सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब सारे का सारा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के प्रारूपण के संबंध में सही स्थिति सुनिश्चित करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग से सूचना की जांच करता है। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों

को अंतिम रूप देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। इस तरह की तीन बैठकें आयोजित की गई - पहली बैठक बजट सत्र से पूर्व दिनांक 17 फरवरी, 2010 को आयोजित की गई, दूसरी बैठक मानसून सत्र से पहले 20 जुलाई, 2010 को आयोजित की गई और तीसरी बैठक शीतकालीन सत्र से पूर्व 3 नवंबर, 2010 को आयोजित की गई। सरकारी कार्यों का सही आंकलन करने के पश्चात प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्यों का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की समयावधि के दौरान सरकारी कार्य की तीन अस्थायी सूचियां बनाई गई और संसद सदस्यों को परिचालन के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई। जिससे उन्हें सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर बोध हो जाता है और वे उन पर चर्चा के लिए भाग लेने की तैयारी कर सकते हैं।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक में ग्यारह-ग्यारह वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अल्प सूचना पर भी समायोजन किया जा सके। वस्तुत: ऐसे समायोजन दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा के लिए 85 सूचियां और राज्य सभा के लिए 86 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। वर्ष के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 125 मदों (लोक सभा - 49, राज्य सभा -76) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। शासकीय दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उसे सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संबंध भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 पंद्रहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र तथा राज्य सभा के 218वें सत्र की समाप्ति पर कुल 49 विधेयक (लोक सभा में 14 विधेयक और राज्य सभा में 35 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों में 76 विधेयक (लोक सभा में 55 विधेयक तथा राज्य सभा में 21 विधेयक) पुर:स्थापित किए गए, इस प्रकार कुल 125 विधेयक हो गए। इनमें से, दोनों सदनों द्वारा 43 विधेयक पारित किए गए (**परिशिष्ट-2**)। लोक सभा में शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010 नामक एक विधेयक को वापस लिया गया तथा राज्य सभा में तीन विधेयक अर्थात: (i) लाटरी (निषेध) विधेयक, 1999, (ii) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 और (iii) प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2006 को वापस लिया गया। पंद्रहवीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 221वें सत्र की समाप्ति पर संसद के दोनों सदनों में कुल 78 विधेयक (लोक सभा में 32 विधेयक और राज्य सभा में 46 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन पेश किया जाएगा जैसाकि राष्ट्रपति निर्देश दें। केन्द्रीय सरकार का बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता है-रेल और सामान्य। रेल बजट सामान्य बजट से दो से तीन दिन पहले पेश किया जाता है, जो सामान्यत: फरवरी के महीने के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों का राज्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब रेल तथा वित्त कार्यभारी मंत्री अपने बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्रियों के भाषणों की समाप्ति पर सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न

मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें निर्दिष्ट विधेयकों, मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और सदनों को प्रस्तुत दीर्घकालीन मूल नीति संबंधी दस्तावेजों तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कागजातों की जांच करना शामिल है। मार्च-अप्रैल, 2010 में संसद के मध्यावकाश के दौरान, विभागों से संबंधित 24 संसदीय स्थायी समितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की संवीक्षा की।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान, रेल और सामान्य बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4**)।

(iv) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.11 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का आविष्कार आधुनिक उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय शायद ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंत में पैदा हुई, जबकि अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.12 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी सांविधिक संकल्प

4.13 प्रतिवेदित अवधि के दौरान जिन सरकारी सांविधिक संकल्पों को प्रस्तुत किया गया, उनपर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया उनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	विषय	लोक सभा		राज्य सभा	
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय घंटे -मिनट	तारीख (तारीखें)	लिया गया समय घंटे –मिनट
1.	संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 1 जून, 2010 को राष्ट्रपति द्वारा झारखंड राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने का अनुमोदन चाहने वाला सांविधिक संकल्प।	28.7.2010 और 29.7.2010	-- 02 (बिना चर्चा के स्वीकृत)	29.7.2010	-- 01 (बिना चर्चा के स्वीकृत)

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.14 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
1.	विधायी	47	04	64	48	25.58	38.56
2.	वित्तीय	56	02	53	48	30.46	32.01
3.	गैर-वित्तीय	80	53	49	27	43.96	29.43

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.15 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा समय नीचे दर्शाया गया है:-

<u>लोक सभा</u>

सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
चौथा सत्र (15वीं लोक सभा)	192	00	69	51	36.38%
पांचवां सत्र (15वीं लोक सभा)	156	00	44	15	28.36%
छठा सत्र (15वीं लोक सभा)	133	00	124	01	93.24%
कुल =	481	00	238	07	49.50%

राज्य सभा

सत्र	कुल समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था के दृश्यों इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
219वां	160	00	44	55	28.07%
220वां	130	00	34	49	26.78%
221वां	112	00	99	03	88.43%
कुल =	402	00	178	47	44.47%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 10 और राज्य सभा में 14 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त लोक सभा में एक आधे घंटे की चर्चा की गई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या

(वर्ष 1952 से 2010 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	98	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38
1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43				

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबद्ध मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	मूल्य वृद्धि पर चर्चा (श्रीमती सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता)	कृषि, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	25.2.2010	8	14
2.	हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में के.रि.पु.बल के कार्मिकों पर माओवादी हमले पर चर्चा (श्री यशवंत सिन्हा)	गृह	15.4.2010	6	14
3.	जनगणना, 2011 के संचालन के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा (श्री अनंत कुमार)	गृह	5.5.2010 5.6.2010 7.5.2010	5	00
4.	राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए	युवा कार्य और	9.8.2010	6	21

	तैयारियों में विलंब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (श्री कीर्ति आजाद)	खेल	10.8.2010	
5.	भोपाल गैस त्रासदी पर चर्चा (श्रीमती सुषमा स्वराज, विपक्ष की नेता)	गृह	11.8.2010	6 - 36
6.	विभिन्न राज्यों में अवैध खनन पर चर्चा (श्री बासुदेव आचार्य)	खान	17.8.2010	3 - 50 (आंशिक चर्चा हुई)
7.	देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ बढ़ते अत्याचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (श्री गोपीनाथ मुंडे)	गृह	19.8.2010 30.8.2010	6 - 02
8.	जम्मू और कश्मीर की स्थिति के संबंध में दिनांक 4.8.2010 को सदन में गृह मंत्री द्वारा किए गए वक्तव्य पर चर्चा (श्री गुरूदास दासगुप्ता)	गृह	26.9.2010	3 - 48 (आंशिक चर्चा हुई)
9.	देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा (श्री नवजोत सिंह सिद्धु)	कृषि	27.8.2010 30.8.2010	3 - 20

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	**विषय और सदस्य**	**संबद्ध मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**
				घंटे मिनट
1.	देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (श्री अरूण जेटली, विपक्ष के नेता)	कृषि, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	25.2.2010 3.3.2010	6 - 59
2.	कुछ राजनीतिज्ञों के टेलीफोनों की	गृह	29.4.2010	2 - 26

	कथित टैपिंग के परिणास्वरूप सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मुद्दे पर पड़ने वाले पभाव तथा इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया पर चर्चा (श्री अरूण जेटली, विपक्ष के नेता)			
3.	छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में के.रि.पु.बल के कार्मिकों पर माओवादी हमले पर गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा (श्री अरूण जेटली, विपक्ष के नेता)	गृह	15.4.2010	3 - 43
4.	भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में हाल की घटनाओं पर चर्चा (श्री रविशंकर प्रसाद)	गृह	11.8.2010 12.8.2010	4 - 27
5.	देश में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर चर्चा (श्री सीताराम येचूरी)	खान	20.8.2010 26.8.2010	3 - 45

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	**मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय** **घंटे मिनट**
1.	विद्युत	19.4.2010	4 - 09
2.	युवा कार्य और खेल	22.4.2010	4 - 18
3.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	28.4.2010	3 - 44
4.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	30.4.2010 3.5.2010	3 - 58
5.	गृह	3.5.2010 6.5.2010	5 - 48

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचार करने और पारित करने हेतु सूची में शामिल किए गए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

5.4 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने क्रमश: दिनांक 27.1.2010, 7.5.2010, 2.7.2010, 31.8.2010, 5.10.2010 और 13.12.2010 को 6 बैठकें की। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 7 मई, 31 अगस्त और 13 दिसंबर, 2010 को आयोजित अपनी बैठकों में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, उनके द्वारा अनुमोदित गैर सरकारी सदस्यों के 28 विधेयकों (लोक सभा में 18 और राज्य सभा में 10) और 29 संकल्पों (लोक सभा में 10 और राज्य सभा में 19) का विरोध करने अथवा संबंधित सदस्यों से उन्हें वापस लेने हेतु अनुरोध करने के लिए सरकार के रूख के मामलों का अनुसमर्थन करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 7.5.2010 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सभा में श्री प्रकाश जावड़ेकर, संसद सदस्य द्वारा तेलंगाना राज्य विधेयक, 2010 के पुर:स्थापन के लिए संविधान के अनुच्छेद 3, 117(1) और 274(1) के अंतर्गत अपनी सिफारिश को रोककर रखने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

5.5 दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान, 113 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक (69 विधेयक लोक सभा में और 44 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा			
क्र.सं.	**विधेयक और प्रभारी संसद सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	अनिवार्य मतदान विधेयक, 2009 (श्री जे.पी. अग्रवाल)	4.12.2009 5.3.2010 30.4.2010 13.8.2010	वापस लिया गया
2.	बाल कल्याण विधेयक, 2010 (श्री अधीर रंजन चौधरी)	13.8.2010	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश	4.12.2009	वापस लिया गया

	(संशोधन) विधेयक, 2009 (श्रीमती विप्लव ठाकुर)	13.8.2010	
2.	संविधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (नए अनुच्छेद 371जे का अंत:स्थापन) (श्री के.बी. शानप्पा)	13.8.2010	चर्चा पूरी नहीं हुई

दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज (राजकुमारी रत्ना सिंह)	11.12.2009 21.4.2010	वापस लिया गया
2.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की पहचान और उनके लिए कल्याणकारी उपाय (डॉ. रघुवंश प्रसाद)	21.4.2010 6.8.2010 21.8.2010	वापस लिया गया
3.	बिहार राज्य को विशेष दर्जा (डॉ. भोला सिंह)	21.8.2010	चर्चा पूरी नहीं हुई
राज्य सभा			
1.	अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्षेत्र में संसदीय प्रभुसत्ता में वृद्धि करना (श्रीमती वृंदा करात)	11.12.2009 12.3.2010	वापस लिया गया
2.	ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन (श्री एन.के. सिंह)	12.3.2010 6.8.2010 21.8.2010	वापस लिया गया
3.	एक पर्यटन स्थल के रूप में सिक्किम का विकास करने के लिए विशेष वित्तीय और अन्य सहायता (श्री ओ.टी. लेप्चा)	21.8.2010	चर्चा पूरी नहीं हुई

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2010 के दौरान पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डा. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डा. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963

14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए। - श्री प्रह्लाद सिंह	10.4.2003

अध्याय – 6

अश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)

<u>एक झलक</u>

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रियों द्वारा लोक सभा में 1279 आश्वासन और राज्य सभा में 1026 आश्वासन दिए गए।
- लोक सभा में दिए गए 1145 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 804 आश्वासन पूरे कर दिए गए है।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 20 आश्वासन और राज्य सभा में 28 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं ।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयको, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान कई बार मंत्री कुछ कार्रवाई करने या अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दे देते हैं। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन को प्रत्येक आश्वासन पर एक प्रतिवेदन देने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय एजेन्सी है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों की पूर्ति करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों मे से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालकर उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्तियों की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहारण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं है। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ मे दिया गया है और क्या आश्वासन एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 संसद को दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होता है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचति करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा/राज्य सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भी भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 1279 आश्वासन दिए गए। जिनमें से 196 आश्वासन पूरे कर दिए गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं छोड़ा गया और शेष 1083 आश्वासन वर्ष के अंत तक लंबित रहे। इस अवधि के दौरान 1165 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन (20 आंशिक पूर्ति प्रतिवेदनों सहित) सभा पटल पर रखे गए। इसी प्रकार प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा में दिए गए कुल 1026 आश्वासनों में से 157 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं छोड़ा गया तथा वर्ष की समाप्ति पर शेष 869 आश्वासन लंबित थे। इस अवधि के दौरान 832 आश्वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन (28 आंशिक पूर्ति प्रतिवेदनों सहित) सभा पटल पर रखे गए। वर्ष 1956 से 2010 के दौरान दिए गए/पूरे किए गए/छोड़े गए और कार्यान्वयन के लिए शेष रहे आश्वासनों का विवरण निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	रिकार्ड किए गए कुल आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	1543	1543	-	1543	-	100
1957	893	893	-	893	-	100
1958	1324	1324	-	1324	-	100
1959	1138	1138	-	1138	-	100
1960	1000	1000	-	1000	-	100
1961	1244	1244	-	1244	-	100
1962	1333	1333	-	1333	-	100
1963	781	781	-	781	-	100
1964	883	883	-	883	-	100
1965	1073	1073	-	1073	-	100
1966	1542	1542	-	1542	-	100
1967	2116	2116	-	2116	-	100
1968	4174	4174	-	4174	-	100
1969	4260	4260	-	4260	-	100
1970	3331	3331	-	3331	-	100
1971	1824	1824	-	1824	-	100
1972	1577	1577	-	1577	-	100
1973	1757	1757	-	1757	-	100
1974	1789	1789	-	1789	-	100
1975	925	925	-	925	-	100
1976	521	521	-	521	-	100

1977	889	889	-	889	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	1069	1069	-	1069	-	100
1980	1105	1105	-	1105	-	100
1981	1587	1587	-	1587	-	100
1982	1541	1541	-	1541	-	100
1983	1726	1726	-	1726	-	100
1984	1284	1284	-	1284	-	100
1985	783	783	-	783	-	100
1986	1098	1098	-	1098	-	100
1987	2616	2615	-	2615	1	99.96
1988	1171	1170	-	1170	1	99.91
1989	1870	1868	-	1868	2	99.89
1990	2396	2394	-	2394	2	99.91
1991	1676	1674	-	1674	2	99.93
1992	2195	2193	-	2193	2	99.90
1993	1759	1759	-	1759	-	100
1994	2524	2524	-	2524	-	100
1995	1465	1465	-	1465	-	100
1996	700	700	-	700	-	100
1997	2093	2091	-	2091	2	99.90
1998	1127	1119	-	1119	8	99.29
1999	749	743	-	743	6	99.19
2000	1720	1716	-	1716	4	99.76
2001	1528	1514	-	1514	14	99.08
2002	1507	1489	-	1489	18	98.80
2003	1090	1070	-	1070	20	98.17
2004	1159	1119	-	1119	40	96.55
2005	1736	1619	-	1619	117	93.26
2006	1076	968	-	968	108	89.96
2007	1274	1114	-	1114	160	87.44
2008	1111	859	-	859	252	77.32
2009	1298	734	-	734	564	56.55
2010	1279	196	-	196	1083	15.32
कुल योग	84892	82486	-	82486	2406	97.17

राज्य सभा

लोक सभा

वर्ष	रिकार्ड किए गए कुल आश्वासन	आश्वासनों की संख्या		कुल	शेष	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए			
1.	2.	3.	4.	5(3+4)	6(2-5)	7.
1956	373	373	-	373	-	100
1957	238	238	-	238	-	100
1958	287	287	-	287	-	100
1959	235	235	-	235	-	100
1960	233	233	-	233	-	100

1961	257	257	-	257	-	100
1962	479	479	-	479	-	100
1963	218	218	-	218	-	100
1964	349	349	-	349	-	100
1965	1342	1342	-	1342	-	100
1966	436	436	-	436	-	100
1967	495	495	-	495	-	100
1968	827	827	-	827	-	100
1969	1104	1104	-	1104	-	100
1970	591	591	-	591	-	100
1971	447	447	-	447	-	100
1972	832	832	-	832	-	100
1973	1009	1009	-	1009	-	100
1974	724	724	-	724	-	100
1975	384	384	-	384	-	100
1976	781	781	-	781	-	100
1977	1117	1117	-	1117	-	100
1978	1655	1655	-	1655	-	100
1979	748	748	-	748	-	100
1980	1391	1391	-	1391	-	100
1981	1688	1688	-	1688	-	100
1982	1466	1466	-	1466	-	100
1983	1472	1472	-	1472	-	100
1984	1082	1082	-	1082	-	100
1985	1315	1315	-	1315	-	100
1986	1295	1295	-	1295	-	100
1987	1810	1809	-	1809	01	99.94
1988	1705	1705	-	1705	-	100
1989	1420	1420	-	1420	-	100
1990	1642	1642	-	1642	-	100
1991	1678	1678	-	1678	-	100
1992	2052	2051	-	2051	01	99.95
1993	1544	1543	-	1543	01	99.94
1994	1261	1260	-	1260	01	99.92
1995	740	740	-	740	-	100
1996	672	671	-	671	01	99.85
1997	906	903	-	903	03	99.67
1998	232	228	-	228	04	98.28
1999	261	256	-	256	05	98.08
2000	706	703	-	703	03	99.58
2001	382	370	-	370	12	96.86
2002	679	652	-	652	27	96.02
2003	843	801	-	801	42	95.02
2004	543	506	-	506	37	93.19
2005	1151	1029	-	1029	122	89.40
2006	859	762	1	763	96	88.94
2007	808	787	1	788	20	97.65

2008	631	470	2	472	159	75.11
2009	715	463	2	465	250	65.31
2010	1026	157	-	157	869	15.30
कुल योग	49136	47476	6	47482	1654	96.63

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए सभी आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सचिव/संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आश्वासनों की आवधिक पुनरीक्षा की गई।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 15वीं लोक सभा ने सदन में 6 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। छठा और सातवां प्रतिवेदन 5 मई, 2010 को और आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन 27 अगस्त, 2010 को प्रस्तुत किया गया। इन प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की गई और जहां कहीं आवश्यक हुआ सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 63वां और 64वां प्रतिवेदन क्रमश: 18 दिसंबर, 2009 तथा 3 दिसंबर, 2010 को प्रस्तुत किया। इन प्रतिवेदनों पर भी कार्रवाई की गई और जहां कहीं आवश्यक हुआ सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर कार्रवाई की गई।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार, लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए 409 मामले और राज्य सभा में किए गए 349 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 954 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 287 विशेष उल्लेख किए गए।
- नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1363 मामलों में से 857 मामलों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 506 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 636 विशेष उल्लेखों में से 483 विशेष उल्लेखों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 153 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया हो। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित होती है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत एक सप्ताह में कोई सदस्य केवल एक ही मामला उठा सकता है। दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष, लोक सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम 20 मामलें उठाने की अनुमति है।

नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रपत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का

पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यतः सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह अध्यक्ष की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण सामान्यतः जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संसदीय सचिवालयों द्वारा संबंधित मंत्रालयों को भेजे जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार शामिल करते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दोनों सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि जिस दिन सदन में मामला उठाया गया है उसके एक महीने के भीतर उठाए गए प्रत्येक मामले पर पूरी कार्रवाई करके वांछित उत्तर संबंधित सदस्य को भेज दें और इस संबंध में संबंधित संसदीय सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी सूचित कर दें।

7.4 वर्ष 2009 की समाप्ति पर, लोक सभा में 409 मामले लंबित थे तथा राज्य सभा में 349 विशेष उल्लेख लंबित थे। दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान लोक सभा में 954 मामले और राज्य सभा में 287 मामले उठाये गए, जिससे लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की कुल संख्या 1363 तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेखों की कुल संख्या 636 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2010 तक लोक सभा में 857 मामलों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए और 506 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा के मामलों के बारे में स्थिति का संबंध है, 31.12.2010 तक 483 विशेष उल्लेखों के उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए हैं और 153 मामले लंबित रह गए हैं। लोक/राज्य सभा में उठाए गए लम्बित मामलों की समीक्षा/शीघ्र उत्तर हेतु सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 9 जुलाई, 2010 और 19 जुलाई, 2010 को बैठक की थी। बैठक के परिणामस्वरूप लोक सभा में 56.12% मामलों का निपटान तथा राज्य सभा में 54.3% मामलों का निपटान हुआ। इसके अतिरिक्त, मंत्री/सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अर्ध शासकीय पत्रों के रूप में अनुस्मारक भी भेजे गए।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5 (i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित शून्य काल के दौरान दोनों सदनों के सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निर्देश न दें, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद मे औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, यद्यपि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी अक्सर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते हैं अथवा टिप्पणियां करते हैं। तत्पश्चात संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाही का उद्धरण संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से यथासम्भव उसी दिन संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.9.2000 को लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, यह मंत्रालय संसद के शीतकालीन सत्र 2000 से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे उन मामलों के संबंध में भी सदनों की कार्यवाही के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्रवाई हेतु जैसी कि उचित समझी जाए, भेजता रहा है जिन पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया हो।

7.6 दिनांक 01.01.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाये गए 596 मामले (लोक सभा: 481 और राज्य सभा: 115) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उचित कार्रवाई हेतु भेजे गए। इनमें से 22 मामले (लोक सभा: 14, राज्य सभा: 8) मंत्री स्तर से भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियाँ कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की कुल 122 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 वर्तमान संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का उनकी मुख्य रूप-रेखा पर उद्गम वर्ष 1954 में प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझावों में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद सदस्यों की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झांकी प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी कम हो सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई।

8.2 वर्ष 1969 में संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए थे तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी, जिन्हें इन दिशा-निर्देशों में शामिल किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। जिन्हें दिनांक 2.9.2005 को मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं। **(परिशिष्ट-7)**

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) सदस्यों को एक परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है, यदि उसे किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं – तीन सत्रावधि के दौरान और तीन अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य होंगी।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती है।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और किसी भी अपेक्षित स्पष्टीकरण को देने हेतु बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, सामान्यत: नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। पंद्रहवीं लोक सभा के आम चुनावों के पश्चात, सितंबर, 2009 में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 35 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-9** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति का नाम**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	इस्पात मंत्रालय	28.01.2010 को बोकारो स्टील सिटी, झारखंड
2.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	24.05.2010 को चैन्नई, तमिलनाडु
3.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	14.06.2010 को मुंबई, महाराष्ट्र
4.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	25.06.2010 को नैनिताल, उत्तराखंड
5.	श्रम और रोजगार मंत्रालाय	25.06.2010 को शिमला, हिमाचल प्रदेश

6.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	06.07.2010 को तिरूपति, आंध्र प्रदेश
7.	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	17.07.2010 को पणजी, गोवा
8.	विदेश मंत्रालय	03.09.2010 को मुंबई, महाराष्ट्र
9.	ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय	19.10.2010 को उदयपुर, राजस्थान
10.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय	24.10.2010 को जयपुर, राजस्थान

अध्याय-9

सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

<u>एक झलक</u>

- संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का मिश्र, ग्रीस और तुर्की का दौरा।
- संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडल का फ्रांस और स्विटजरलैंड का दौरा।
- संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश भेजे गए विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों के लिए 4 संसद सदस्यों को नामांकित किया।

पृष्ठभूमि

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों से संबंधों सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए नि:संदेह यह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करें और इनका इस कार्य के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य विचार बनाने वालों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। नि:संदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन-चार सद्भावना शिष्टमण्डल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य विदेशों का दौरा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

9.2 विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों के परामर्श से और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि संसदविदों का ऐसा एक सद्भावना शिष्टमंडल जनवरी, 2010 के महीने में मिस्र, ग्रीस और तुर्की को तथा मार्च, 2010 के महीने में फ्रांस और स्विटजरलैंड भेजा जाएगा ।

14 जनवरी, 2010 से 23 जनवरी, 2010 तक मिस्र, ग्रीस और तुर्की का दौरा

गठन

9.3 शिष्टमंडल का गठन निम्न प्रकार से था:-

1	श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री – शिष्टमंडल के नेता
2	श्री वी. नारायणसामी	संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री
3	श्री पबन सिंह घाटोवार	संसद सदस्य (लोक सभा) लोक सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य सचेतक
4	प्रोफेसर पी.जे. कूरियन	संसद सदस्य (राज्य सभा), राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य सचेतक
5	श्री रमेश बैस	संसद सदस्य (लोक सभा), लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक
6	श्रीमती माया सिंह	संसद सदस्य (राज्य सभा), राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक
7	श्री राजीव रंजन सिंह	संसद सदस्य (लोक सभा), जनता दल (यू)
8	श्रीमती वसंती स्टानली	संसद सदस्य (राज्य सभा), डी एम के
9	श्री अनिरूध्दन संपत	संसद सदस्य (राज्य सभा), सी पी आई (एम)

9.4 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए :-

1	श्री अनिल कुमार	सचिव
2	श्री जेङ ए. नक़वी	संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री के निजी सचिव
3	डा. निर्मल कुमार आजाद	निदेशक
4	श्री जगदीश कुमार	अनुभाग अधिकारी

मिस्र का दौरा

9.5 मिस्र में भारतीय शिष्टमंडल ने नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष डा.फाथी सोरूर और मिस्र के संसदीय कार्य राज्य मंत्री डा. मौफीद शेहाब से मुलाकात की। बैठकों के दौरान शिष्टमंडल ने गण्यमान्य व्यक्तियों को भारतीय संसदीय प्रणाली के कार्यचालन, निवेश और व्यापार के लिए भारत की आर्थिक सामर्थ्य, पर्यटन को बढ़ावा देकर लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की जरूरत तथा विश्व समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने में भारत की भूमिका के बारे में अवगत कराया । शिष्टमंडल ने अरब दुनिया के अन्य देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने में मिस्र द्वारा निभाई जाने वाली संभावित भूमिका पर भी प्रकाश डाला। मिस्र के पक्ष ने लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति मिस्र की वचनबध्दता और राष्ट्रीय असेम्बली में भारत मैत्री संघ के अस्तित्व के बारे में कहा और दोनों देशों के बीच संसदीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई।

ग्रीस का दौरा

9.6 हैलेनिक संसद के प्रेसीडेंट श्री फिलिपोस पेत्सालीन्कोस ने शिष्टमंडल से मुलाकात की। उन्होंने भारत की आर्थिक सामर्थ्य और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के बारे में कहा जिसकी भारतीय शिष्टमंडल ने सराहना की । शिष्टमंडल ने दोनों देशों के बीच संसदविदों द्वारा एक दूसरे के यहां दौरे करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रैसीडेंट को भारत के आर्थिक विकास और द्विपक्षीय सहयोग की सामर्थ्य के बारे में सूचित किया गया। ग्रीस और भारत की राजनैतिक और निर्वाचन प्रणाली पर भी चर्चा की गई।

तुर्की का दौरा

9.7 शिष्टमंडल ने तुर्की के महामहिम राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला गुल और उप प्रधानमंत्री श्री सीमिल लीसेक, ग्रांड नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष श्री मेहमत अली साहीन, तुर्की के पर्यावरण और वानिकी मंत्री डा.वेसेल इरोग्लू के साथ भी मुलाकात की । इन बैठकों के दौरान आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। तुर्की के अधिकारियों की ओर से त्रिपक्षीय पाइपलाइन (मिडस्ट्रीम) सहित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, और जल संसाधन तथा तुर्की और भारत में संसदीय मैत्री ग्रुपों के बीच नियमित आदान-प्रदान के बारे में बात की गई। भारतीय शिष्टमंडल ने तुर्की की ढ़ांचागत कंपनियों को भारत में विकसित हो रहे ढ़ांचागत उद्योग में भाग

लेने के लिए आमंत्रित किया। वहां भारतीय संसद के कार्यचालन तथा भारत और तुर्की के समरूप शहरों की संभावना पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

फ्रांस और स्विटजरलैंड का दौरा - 28 मार्च से 4 अप्रैल, 2010

9.8 शिष्टमंडल का गठन निम्न प्रकार से था:-

1	श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री - **शिष्टमंडल के नेता**
2	श्री वी. नारायणसामी	संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री
3	श्री शरीफुद्दीन शारिक	संसद सदस्य (लोक सभा), नेशनल कांफ्रेस
4	श्री राकेश सच्चान	संसद सदस्य (लोक सभा), समाजवादी पार्टी
5	श्री अर्जुन मुंडा	संसद सदस्य (लोक सभा), भारतीय जनता पार्टी
6	श्री प्रेम चंद गुप्ता	संसद सदस्य (लोक सभा), राष्ट्रीय जनता दल
7	श्री अनंत गंगाराम गीते	संसद सदस्य (लोक सभा), शिव सेना
8	श्री भतृहरि महताब	संसद सदस्य (लोक सभा), मुख्य सचेतक, बीजू जनता दल
9	श्री एस.सेम्मलाई	संसद सदस्य (राज्य सभा), एआइएडीएमके
10	श्री एम.पी. अच्युतन	संसद सदस्य (राज्य सभा), सी पी आई
11	श्री असदुद्दीन ओवेसी	संसद सदस्य (लोक सभा), एआईएमआईएम
12	श्री जोस के. मणि	संसद सदस्य (लोक सभा), केरल कांग्रेस (एम)
13	श्री बाबू लाल मरांडी	संसद सदस्य (लोक सभा), जे वी एम
14	श्री बली राम सुकुर यादव	संसद सदस्य (लोक सभा), बी वी ए
15	श्री सी. एम. चेंग	संसद सदस्य (लोक सभा), एन पी एफ
16	श्री प्रेम दास राय	संसद सदस्य (लोक सभा), एस डी एफ

9.9 संसदीय कार्य मंत्रालय से निम्नलिखित अधिकारी भी शिष्टमंडल के साथ गए :-

1	श्री अनिल कुमार	सचिव
2	श्रीमती आर.सी. ख्वाजा	संयुक्त सचिव
3	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री के विशेष कार्याधिकारी
4	श्री देवाशिष बोस	अवर सचिव

फ्रांस का दौरा

9.10 शिष्टमंडल ने फ्रांस के संसद संबंधों के प्रभारी मंत्री श्री हेनरी द रेनकोर्ट से मुलाकात की। फ्रांस के मंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के लिए भारत की सराहना की और जानना चाहा कि भारत में संसद कैसे कार्य करती है क्योंकि फ्रांस की सरकार अपनी संसदीय प्रणाली का पुनरावलोकन करना चाहती है। उन्होंने संक्षेप में फ्रांस की संसद के कार्यचालन के बारे में कहा और इच्छा व्यक्त की कि उनकी संसद अपने देश में लोकतंत्र को मज़बूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाए। भारतीय शिष्टमंडल के नेता ने भारतीय संसद के कार्यचालन की प्रमुख विशेषताओं और इसके प्रभावशाली और लोकतांत्रिक कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए तंत्र पर प्रकाश डाला । उन्होंने फ्रांस के मंत्री को यह भी सूचित किया कि भारत फ्रांस संसदीय मैत्री ग्रुप की स्थापना करने की भारत तैयारी कर रहा है। भारतीय शिष्टमंडल ने अतीत में विभिन्न मोड़ों पर भारत के हितों का साथ देने और सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए फ्रांस के समर्थन की प्रशंसा की। शिष्टमंडल पेरिस में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिला और भारत की आर्थिक नीतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

स्विटजरलैंड का दौरा

9.11 स्विटजरलैंड में भारतीय शिष्टमंडल ने भारतीय समुदाय और विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भारतीय सदस्यों और प्रतिनिधियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श सत्र किया और बड़ी संख्या में मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडल पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.12 संसदीय कार्य मंत्री विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों के नामांकन करते हैं। वर्ष 2010 के दौरान, निम्नलिखित संसद सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाए शिष्टमंडल में नामांकित किया गया:-

1.	श्री संदीप दीक्षित, संसद सदस्य (लोक सभा)	डिचले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सहभागिता
2.	1. श्री लालजी टंडन, संसद सदस्य (लोक सभा) 2. श्री मधु गौड़ यासखी, संसद सदस्य (लोक सभा) 3. डा. विनय कुमार पाण्डेय, संसद सदस्य (लोक सभा)	यूनेस्को में शिक्षा के लिए संसदविदों की पहली संपर्क ग्रुप बैठक
3.	1. प्रो.अल्का बलराम क्षत्रिय, संसद सदस्य (राज्य सभा) 2. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	चीन में सोलहवें एशियाई खेल

संसदीय शिष्टमंडलों के साथ बैठक

9.13 दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान, विदेशों से निम्नलिखित संसदीय शिष्टमंडलों ने संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात की तथा संसद के कार्यचालन और आपसी हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया:-

1.	17 फरवरी, 2010	राजदूत महामहिम थामस मतूस्सेक और डॉ. एकरमैन, राजनैतिक सचिवों के प्रमुख, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी दूतावास, नई दिल्ली।
2.	13 अप्रैल, 2010	पेरेगुए से महामहिम सीनेटर मिग्वेल केरीजोसा, अध्यक्ष पेरेगुए सीनेट के नेतृत्व में 8 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
3.	28 जुलाई, 2010	युगांडा से माननीय दाउदी मिगरेको, मुख्य सरकारी

		सचेतक के नेतृत्व में 7 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
4.	9 अगस्त, 2010	मैक्सिको से एशिया पेसिफिक के लिए विदेशी कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष महामहिम श्री केरियोस जिमेनेज मेसियास (सीनेटर) के नेतृत्व में 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल
5.	21 दिसंबर, 2010	अल्बानिया से अल्बानियाई संसद की अध्यक्ष महामहिम श्रीमती जोसफिना तोपल्ली के के नेतृत्व में 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.14 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 52 संसद सदस्यों (राज्य सभा से 39 सदस्य और लोक सभा से 13 सदस्य) ने विदेशों के अपने निजी दौरों/अध्ययन दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.6 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता हो, उनके संबंध में गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकार को अनुमति/अनापत्ति

9.16 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेर्शों (का.ज्ञा. सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

9.17 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश जाने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और गुजरात की सरकारों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

अध्याय - 10
युवा संसद योजना

<u>एक झलक</u>

- विभिन्न "युवा संसद प्रतियोगिता" योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :-
  - (i) विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए 17-18 फरवरी, 2010 को के.आई.आई.टी. यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में;
  - (ii) दिल्ली के विद्यालयों के लिए दिनांक 6.5.2010 को कॉन्सटीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में;
  - (iii) केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय विद्यालय (के.वि.), ओ.एन.जी.सी., देहरादून, के.वि., बेगमपेट, हैदराबाद और के.वि., गोमतीनगर, लखनऊ में क्रमश: 5-6 जुलाई, 2010, 15-16 जुलाई, 2010 और 22-23 जुलाई, 2010 के दौरान; और
  - (iv) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.), चाउड़ी, केनाकोना, गोवा और ज.न.वि., कोणार्क, पुरी, उड़ीसा में क्रमश: 10-11 सितंबर, 2010 और 16-17 सितंबर, 2010 के दौरान।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2008-09 का पुरस्कार वितरण समारोह 6 जनवरी, 2010 को आयोजित किया गया।
- 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2009-10 का पुरस्कार वितरण समारोह 5 फरवरी, 2010 को आयोजित किया गया।
- विश्वविद्यालयों/कालेजों के लिए नौवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 6 अगस्त, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2009-10 का पुरस्कार वितरण समारोह 20 अक्तूबर, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों के लिए 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 के 4 सर्वोत्तम विद्यालयों के टेलीविजन पर प्रसारित किए गए प्रदर्शन का आयोजन 26 और 27 अक्तूबर, 2010 को जी.एम.सी. बालयोगी ऑडिटोरियम, संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 का पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 23 नवंबर, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया।

प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी) दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

45वीं युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.2 इस मंत्रालय ने प्रतिभागी विद्यालयों में 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ 6 मई, 2010 को कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। पृष्ठभूमि संबंधी आवश्यक सामग्री वितरित की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा व्याख्यात्मक भाषण दिए गए। 33 विद्यालयों के 55 अध्यापकों/प्रधानाचार्यों ने इस अभिविन्यास पाठ्यक्रम में भाग लिया।

6 मई, 2010 को डिप्टी चेयरमैन हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद हेतु 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम के अवसर पर श्रीमती आर.सी. ख्वाजा, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री निर्मल कुमार आजाद, निदेशक, संसदीय कार्य मंत्रालय और श्री आर.सी. महान्ति, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

45वीं युवा संसद प्रतियोगिता

10.3 वर्ष के दौरान 33 विद्यालयों के बीच 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता के मूल्यांकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग्यता क्रम में सर्वोत्तम 4 विद्यालयों के प्रदर्शन को पहली बार लोक सभा टीवी द्वारा रिकार्ड किया गया और 3, 4, 5 और 6 दिसंबर, 2010 को इसका प्रसारण किया गया।

जी.एम.सी. बालयोगी आडिटोरियम, संसदीय ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में 27 अक्टूबर, 2010 को 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 के लिए एन.सी. जिंदल पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा मंच प्रदर्शन।

45वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.4 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 का पुरस्कार वितरण समारोह 23 नवंबर, 2010 को मावलंगर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री वी. नारायणसामी, माननीय संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए।

10.5 इस अवसर पर, 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2010-11 में प्रथम आए एन.सी. जिंदल पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ने अपने युवा संसद सत्र को पुनः अभिनीत किया।

10.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन विद्यालयों के बीच 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर एन.सी. जिंदल पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली को "पंडित मोतीलाल नेहरू संसदीय चल वेजयन्ती" और एक ट्राफी प्रदान की गई। नए प्रतिभागी विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय, बी-4, पश्चिम विहार, नई दिल्ली को प्रदान की गई। 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता में आठ विद्यालयों को उनके योग्य निष्पादन के लिए ट्राफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, 33 विद्यालयों के 266 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए व्यक्तिगत योग्यता पुरस्कार प्रदान किए गए। 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता में सर्वोत्तम शिक्षा जिले की ट्राफी पश्चिमी-क जिले को प्रदान की गई।

23 नवंबर, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित 45वीं युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर एन.सी. जिंदल पब्लिक स्कूल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ श्री वी. नारायणसामी, संसदीय कार्य, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

2. केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.7 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। अब तक 23 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.8 अभिविन्यास पाठ्यक्रम को गहन और प्रयोजनमूलक बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से मंत्रालय ने निम्न तीन अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए:-

(क) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 5 और 6 जुलाई, 2010 को केन्द्रीय विद्यालय, ओ.एन.जी.सी., देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्रीमती आर.सी. ख्वाजा, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात अहमदाबाद, जम्मू, दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और जयपुर से 30 अध्यापकों, 6 शिक्षा अधिकारियों, 1 सहायक आयुक्त और उत्तराखंड सरकार के 2 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ख) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 15 और 16 जुलाई, 2010 को केन्द्रीय विद्यालय, बेगमपेट, हैदराबाद में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, भुवनेश्वर और जबलपुर से 29 अध्यापकों और 6 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

(ग) तीसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 22 और 23 जुलाई, 2010 को केन्द्रीय विद्यालय, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम का उदघाटन श्री आर.सी. महान्ति, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। अभिविन्यास पाठ्यक्रम में 6 क्षेत्रों अर्थात भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पटना और सिल्चर से 30 अध्यापकों और 6 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।

23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.9 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश के विभिन्न भागों में 90 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। पहले प्रतियोगिता अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी केंद्रीय विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गई। तत्पश्चात, अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आने वाले केंद्रीय विद्यालयों के बीच आंचलिक/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई।

22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोतगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.10 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 5 फरवरी, 2010 को मावलंगर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री पवन कुमार बंसल, माननीय संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। केन्द्रीय विद्यालय, पट्टम, केरल, जो प्रतियोगिता में प्रथम आया था, ने अपनी युवा संसद की बैठक को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को प्रतियोगिता में प्रथम आने पर "पंडित जवाहर लाल नेहरू संसदीय चल वैजयन्ती" और एक ट्राफी प्रदान की गई। पांच केन्द्रीय विद्यालयों को उनके अपने-अपने अंचलों में योग्य निष्पादन के लिए आंचलिक प्रथम ट्रॉफियां प्रदान की गई और 12 विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी केन्द्रीय विद्यालयों के 668 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए (525 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए और 143 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर)।

5 फरवरी, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित 22वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय, पट्टम, केरल के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ श्री पवन कुमार बंसल, संसदीय कार्य तथा जल संसाधन मंत्री।

3. जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.11 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1997 में आरंभ की गई थी और अब तक 13 प्रतियोगिताएं पूरी की जा चुकी हैं।

12वीं और 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह

10.12 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 6 जनवरी, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री वी. नारायणसामी, माननीय संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय, कोल्लम, केरल ने अपने युवा संसद सत्र को पुन: अभिनीत किया और इस विद्यालय को "संसदीय चल वैजयंती" प्रदान की गई। आठ विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी विद्यालयों के 312 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों (248 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 64 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए) को भी प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।

6 जनवरी, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री वी. नारायणसामी, संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री, श्री अनिल कुमार, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, श्री निर्मल कुमार आजाद, निदेशक के साथ नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारीगण तथा जवाहर नवोदय विद्यालय, कोल्लम, केरल के पुरस्कार विजेता विद्यार्थी और अध्यापक।

10.13 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 20 अक्टूबर, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री वी. नारायणसामी, माननीय संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय, पिपरसैंड, जिला लखनऊ ने अपने युवा संसद सत्र को पुनः अभिनीत किया और इस विद्यालय को "संसदीय चल वैजयंती" प्रदान की गई। आठ विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्रॉफियां प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागी विद्यालयों के 449 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों (385 विद्यार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर और 64 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए) को भी प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए।

20 अक्टूबर, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर श्री वी. नारायणसामी, संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारियों तथा जवाहर नवोदय विद्यालय, पिपरसैंड, लखनऊ के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों और अध्यापकों के साथ।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.14 युवा संसद गतिविधि के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ, इस मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के परामर्श से 14वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2009-10 के संबंध में निम्न दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-

(1) पहला अभिविन्यास पाठ्यक्रम 10 और 11 सितंबर, 2010 को जवाहर नवोदय विद्यालय, चाउडी, केनाकोना, जिला साऊथ गोवा में चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, लखनऊ और शिलांग क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

(2) दूसरा अभिविन्यास पाठ्यक्रम 16 और 17 सितंबर, 2010 को जवाहर नवोदय विद्यालय, कोर्णाक, जिला पुरी, उड़ीसा में हैदराबाद, भोपाल और पटना क्षेत्र के अध्यापकों के लिए आयोजित किया गया।

जवाहर नवोदय विद्यालयों (ज.न.वि.) के लिए 14वीं युवा संसद प्रतियोगिता

10.15 प्रतियोगिता देश कें विभिन्न भागों में 64 जवाहर नवोदय विद्यालयों में आयोजित की जा रही है। पहले क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम आने वाले विद्यालयों के बीच आयोजित की गई।

4. विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.16 वर्ष 1997-98 से, पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में अब तक 10 राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में 10वीं रा.यु.सं.प्र., 2010-11 के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम

10.17 विश्वविद्यालयों/कालेजों के समन्वयकर्ताओं के लाभार्थ अभिविन्यास पाठ्यक्रम 17 और 18 फरवरी, 2010 को के.आई.आई.टी. यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया गया। 10वीं रा.यु.सं.प्र., 2010-11 में 22 संस्थाओं ने भाग लिया।

पुरस्कार वितरण समारोह

10.18 9वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2007-08 का पुरस्कार वितरण समारोह 6 अगस्त, 2010 को मावलंकर सभागार, रफी मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आने वाली मदुरै कामराज युनिवर्सिटी, मदुरै, तमिलनाडु ने अपनी युवा संसद की बैठक का पुन: प्रदर्शन किया और उसे संसदीय चल वैजयंती प्रदान की गई। 4 संस्थाओं को ग्रुप स्तर पर उनके उत्कृष्ट निष्पादन के लिए योग्यता ट्राफियां प्रदान की गई। प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त, प्रतिभागी संस्थाओं के 137 पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों (97 विद्यार्थियों को ग्रुप स्तर पर और 40 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके योग्य निष्पादन के लिए) को व्यक्तिगत पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी, मदुरै, तमिलनाडु के पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के साथ।

5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता (यु.सं.प्र.)

10.19 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, असम, कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड राज्यों को क्रमश: रू.4,00,000/-, रू.4,99,781/-, रू.2,99,980/-, रू.5,00,000/- और रू.3,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण

10.20 मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिता योजना को आरंभ करने और कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और साहित्य भी उपलब्ध कराता है। इस प्रयोजन के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं के संबंध में प्रधानाचार्यों, प्रभारी अध्यापकों और आयोजकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा आयोजित 'अभिविन्यास पाठ्यक्रमों' में, यदि अनुरोध किया जाता है तो इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा "युवा संसद प्रतियोगिता" के संचालन के सिद्धांत और प्रक्रिया संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य सरकार के अनुरोध पर, हरियाणा राज्य में प्रधानाचार्यों और युवा संसद कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभार्थ दिनांक 14.7.2010 को एस.सी.ई.आर.टी., गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित किए गए अभिविन्यास पाठ्यक्रम में

मंत्रालय के तीन अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिए गए थे और मंत्रालय ने युवा संसद प्रतियोगिताओं के संचालन पर साहित्य भी उपलब्ध कराया।

अध्याय – 11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

11.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 29 अक्तूबर, 2010 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मंत्रालय का निरीक्षण किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.5 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें 25 मार्च, 16 जून, 24 सितंबर और 30 दिसंबर, 2010 को आयोजित की गई।

हिन्दी सलाहकार समिति

11.6 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान इस समिति की दो बैठकें 11 जनवरी और 19 अक्तूबर, 2010 को आयोजित की गई।

11.7 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान तीन अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.8 1 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2010 के दौरान मंत्रालय में "हिन्दी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की अपील की गई। पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित छः प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गई:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिन्दी टंकण प्रतियोगिता;
3. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;
4. हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता;
5. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता; और
6. अंताक्षरी प्रतियोगिता।

11.9 वर्ष भर अपना समस्त कार्य हिंदी में करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पुरस्कार योजना भी आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 15 कर्मचारियों को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रशस्ति पत्र और प्रत्येक को ₹1000/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

(बाएं से दाएं)
14 सितंबर, 2010 को हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह के अवसर पर श्रीमती मनोरमा भारद्वाज, सहायक निदेशक, श्रीमती रेवा रानी, उप सचिव, श्रीमती आर.सी. ख्वाजा, संयुक्त सचिव, श्री यू.एस. पंजियार, सचिव, श्री एच.एल. नेगी, निदेशक, श्री डी. बोस, अवर सचिव, श्री आर.सी. महान्ति, अवर सचिव।

11.10 हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 14 सितम्बर, 2010 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 28 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

श्री यू.एस. पंजियार, सचिव हिंदी दिवस के अवसर पर अर्थात 14 सितंबर, 2010 को भारत के महामहिम उप राष्ट्रपति से इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

11.11 संसदीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2008-09 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार के द्वितीय पुरस्कार हेतु चुना गया। हिंदी दिवस अर्थात 14 सितंबर, 2010 को सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भारत के महामहिम उप राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

11.12 मंत्रालय के 12 अनुभागों में से छः अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य छः अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	कार्यान्वयन-I अनुभाग	100%
3.	कार्यान्वयन-II अनुभाग	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	विधायी-II अनुभाग	100%
7.	युवा संसद अनुभाग	50%
8.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
9.	समिति अनुभाग	50%
10.	विधायी-I अनुभाग	50%
11.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
12.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिन्दी कार्यशाला

11.13 मंत्रालय में हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान दो हिंदी कार्यशालाओं का संचालन किया गया। पहली कार्यशाला 17 से 29 मार्च, 2010 तक और दूसरी कार्यशाला 1 से 13 सितंबर, 2010 तक चलाई गई। इन कार्यशालाओं में 24 कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया।

अध्याय - 12

सामान्य

एक झलक

- संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-
  - (i) विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 79 संसद सदस्य (55 लोक सभा और 24 राज्य सभा); और
  - (ii) विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 181 संसद सदस्य (88 लोक सभा और 93 राज्य सभा)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 79 संसद सदस्यों (55 लोक सभा और 24 राज्य सभा) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया, जैसा कि **परिशिष्ट-10** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

12.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-11** में दर्शाए गए रूप में 181 संसद सदस्यों (88 लोक सभा और 93 राज्य सभा) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.3 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों में निहित सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की गई:-

(i) पंद्रहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां प्रतिवेदन;

(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 138वां प्रतिवेदन

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते

12.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;

(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;

(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और

(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

12.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

12.6 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम 37) संसद द्वारा पारित किया गया था जिसके द्वारा सांसदों/पूर्व सांसदों के वेतन और पेंशन बढ़ाए गए थे। वेतन और भत्ते 18 मई, 2009 से बढ़ाए गए थे जोकि पंद्रहवीं लोक सभा के गठन की तारीख है। अन्य भत्ते 1 अक्तूबर, 2010 से बढ़ाए गए थे।

12.7 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-12** और **परिशिष्ट-13** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

12.8 मंत्रालय द्वारा 15वीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की 15 रिपोर्टों (पहली से पंद्रहवीं) पर कार्रवाई की गई। मंत्रालय के अधिकारीगण समिति के समक्ष भी उपस्थित हुए और मौखिक साक्ष्य दिया।

संसद सदस्यों का कल्याण

12.9 इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

12.10 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.gov.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है। यह जानकारी मंत्रालय की अंग्रेजी वेबसाइट के साथ-साथ हिंदी वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है।

12.11 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अन्तिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कराता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाओं में सहायता प्रदान की गई:-

(क) श्री वीरेन्द्र भाटिया, संसद सदस्य (राज्य सभा) (समाजवादी पार्टी) का अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में दिनांक 24.5.2010 को दिल का दौरा पड़ने के कारण

निधन हो गया था। श्री वीरेन्द्र भाटिया के पार्थिव शरीर को चार्टरित विमान से अंतिम संस्कार के लिए लखनऊ ले जाया गया।

(ख) श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) निर्दलीय का लंदन में दिनांक 24.6.2010 को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था और उसी दिन श्री दिग्विजय सिंह के पार्थिव शरीर को विमान से भारत लाया गया और तत्पश्चात माननीय संसद सदस्य के पार्थिव शरीर को रेल से अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक नगर (बिहार) भेजा गया।

(ग) श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्ता, संसद सदस्य (राज्य सभा) निर्दलीय का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 26.9.2010 को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था और उसी दिन श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्ता का लोधी रोड शवदाह गृह, नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया।

(घ) श्री एम. राजशेखर मूर्ति, संसद सदस्य (राज्य सभा) जनता दल (यू.) का डॉ. राम मनोहर लोहियां अस्पताल, नई दिल्ली में दिनांक 5.10.2010 को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था और उसी दिन श्री एम. राजशेखर मूर्ति के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए विमान से बंगलौर ले जाया गया।

संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

12.12 संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद सदस्यों को सत्रावधि के दौरान उनके आवास से संसद भवन लाने और वापिस ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था का समन्वय करता है। मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था भी करता है।

12.13 यह मंत्रालय सदन (सदनों) की देर रात तक बैठक (बैठकें) चलने के दौरान संसद भवन में संसद सदस्यों, प्रेस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात्रि भोजन/जलपान की व्यवस्था करता है।

फिल्म शो

12.14 संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समन्वय से संसद सदस्यों के मनोरंजनार्थ विभिन्न भाषाओं की फीचर फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

12.15 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह और निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान

12.16 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वर्ष के दौरान संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठकें

12.17 संसदीय कार्य मंत्री ने आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक सत्र के पहले संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठक आयोजित की। प्रतिवेदित अवधि के दौरान ऐसी तीन बैठकें 17.02.2010, 23.07.2010 और 08.11.2010 को आयोजित हुईं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

12.18 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और आवधिक बैठकों के लिए समुचित मंच प्रदान करने तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक 15 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। पंद्रहवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 10-11 फरवरी, 2010 को चंडीगढ़ में माउंट व्यू होटल में

आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन श्री शिवराज पाटील, पंजाब के राज्य पाल और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक ने किया।

12.19 उद्घाटन सत्र के बाद 10 और 11 फरवरी, 2010 को कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई। अनेक सिफारिशों का प्रस्ताव किया गया जिनकी इस मंत्रालय में जांच चल रही है। श्री भूपिन्दर सिंह हुड्डा ने 11 फरवरी, 2010 को सत्र को संबोधित किया और श्री के. रहमान खान, उप सभापति, राज्य सभा ने समापन संबोधन दिया।

12.20 सम्मेलन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसदीय कार्य मंत्रियों, संसद के दोनों सदनों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभाओं/परिषदों में नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों सहित 81 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ये 20 सचिवों/अन्य अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया।

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

12.21 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संसद एककों के कार्यचालन में सुधार करने और संसदीय कार्य के बेहतर निपटान के उद्देश्य से, विभिन्न मंत्रालयों के संसद एककों में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई। संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुमोदन से, वर्ष 1985 से मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में तीन दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है। आरंभ में, इन पाठ्यक्रमों का संचालन संसद एककों के अधिकारियों/स्टाफ के लिए किया जाता था। तत्पश्चात, संसद एककों में कार्यरत स्टाफ से इतर अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया।

12.22 अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसरण में, मंत्रालय केंद्र और विभिन्न राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में जानकारी और सूचना के आदान-प्रदान, जिसके फलस्वरूप पद्धतियों का निष्पादन और मानकीकरण बेहतर हो सकता है, के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए भी संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता रहा है।

अनुसंधान कार्य

12.23.1 अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब प्रक्रिया एवं पद्धति के मामलों पर सलाह/मार्ग-दर्शन मांगा जाता है, उसे उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर सरकारी उपयोग के लिए विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

12.23.2 अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकी पुस्तिका भी तैयार करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी संगत सिफारिशों पर कार्रवाई करता है।

12.23.3 अनुसंधान प्रकोष्ठ में संसदीय कार्य मंत्रालय का पुस्तकालय भी है जिसका रखरखाव अनुसंधान प्रकोष्ट के स्टाफ द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पुस्तकालय में 1449 पुस्तकें हैं।

12.23.4 वर्ष 2010-11 के दौरान, अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:-

1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2010 तक अनुसंधान प्रकोष्ठ के कार्यकलाप

क्र.सं.	कार्यकलापों का ब्यौरा	उपलब्धि
1.	प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टें:	पहली, चौथी, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई।
2.	साख्यिकी पुस्तिका:	सांख्यिकी पुस्तिका 2010 का संकलन और प्रकाशन किया गया।
3.	सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन:	26 मामलों पर कार्रवाई की गई।

बजट

12.24 संसदीय कार्य मंत्रालय का बजट निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	**उप-शीर्ष**	**बजट अनुमान 2010-2011**		**संशोधित अनुमान 2010-2011**		**बजट अनुमान 2011-2012**		**वास्तविक व्यय 2010-2011 (27.01.2011 की स्थिति के अनुसार)**	
		योजना	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**	**योजना**	**योजनेतर**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
मुख्य शीर्ष	13.00.01-वेतन	--	33900	--	48400	--	52500	--	43544

"2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090 सचिवालय 13-संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.03- समयोपरि भत्ता	--	400	--	400	--	400	--	281
	13.00.06- चिकित्सा उपचार	--	800	--	600	--	600	--	411
	13.00.11- देशीय यात्रा व्यय	--	1300	--	2000	--	2000	--	1227
	13.00.12- विदेशी यात्रा व्यय	--	15000	--	15000	--	16500	--	2199
	13.00.13- कार्यालय व्यय	--	10000	--	10000	--	11000	--	7499
	13.00.16- प्रकाशन	--	700	--	700	--	700	--	359
	13.00.20- अन्य प्रशासनिक व्यय	--	7000	--	4000	--	7000	--	2333
	13.00.50- अन्य प्रभार	--	5600	--	8100	--	14100	--	4759
	कुल मुख्य शीर्ष "2052"	**--**	**74700**	**--**	**89200**	**--**	**104800**	**--**	**62612**

वित्तीय वर्ष 2010-11 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी न भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुनः प्रस्तुत करने के लिए लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2010-11 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ किए गए कार्यकलाप

12.25 यह मंत्रालय नियुक्तियों इत्यादि में अक्षम व्यक्तियों के लाभों के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

परिशिष्ट-1

(देखें पैरा-1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय;
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क;
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे;
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले। संसदीय सचिव-कार्य;
15. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
16. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
17. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;
18. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;
19. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका;

20. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)
21. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30);
22. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33);
23. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा रा.स. = राज्य सभा
पंद्रहवीं लोक सभा का चौथा सत्र और राज्य सभा का 219 वां सत्र					
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		राष्ट्रपति की स्वीकृति एवं अधिनियम संख्या
			लो.स.	रा.स.	
1	2	3	4	5	6
संस्कृति मंत्रालय					
1	प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010	11.3.2010 (लो.स.)	15.3.2010	16.3.2010	2010 का 10 29.3.2010
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
2	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010	31.7.2009 (लो.स.)	15.3.2010 16.3.2010 30.4.2010	5.5.2010	2010 का 19 2.6.2010
वित्त मंत्रालय					
3	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2010	12.3.2010 (लो.स.)	12.3.2010	16.3.2010	2010 का 8 22.3.2010
4	विनियोग अधिनियम, 2010	12.3.2010 (लो.स.)	12.3.2010	16.3.2010	2010 का 9 23.3.2010
5	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2010	27.4.2010 (लो.स.)	27.4.2010	29.4.2010	2010 का 12 4.5.2010
6	विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 2010	28.4.2010 (लो.स.)	28.4.2010	29.4.2010	2010 का 13 4.5.2010
7	वित्त अधिनियम, 2010	26.2.2010 (लो.स.)	28.4.2010 29.4.2010	4.5.2010	2010 का 14 8.5.2010
श्रम मंत्रालय					

8	उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2010	22.4.2010 (लो.स.)	3.5.2010	5.5.2010	2010 का 15 17.5.2010
9	बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 2010	21.10.2008 (रा.स.)	6.5.2010	30.4.2010	2010 का 17 18.5.2010
10	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2010	7.8.2009 (लो.स.)	3.5.2010	6.5.2010	2010 का 18 24.5.2010
विधि और न्याय मंत्रालय					
11	तमिल नाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010	5.5.2010 (रा.स.)	6.5.2010	5.5.2010	2010 का 16 18.5.2010
रेल मंत्रालय					
12	विनियोग (रेल) लेखानुदान अधिनियम, 2010	9.3.2010 (लो.स.)	9.3.2010	11.3.2010	2010 का 5 22.3..2010
13	विनियोग (रेल) अधिनियम, 2010	9.3.2010 (लो.स.)	9.3.2010	11.3.2010	2010 का 6 22.3..2010
14	विनियोग (रेल) संख्या 2 अधिनियम, 2010	9.3.2010 (लो.स.)	9.3.2010	11.3.2010	2010 का 7 22.3..2010
15	विनियोग (रेल) संख्या 3 अधिनियम, 2010	19.4.2010 (लो.स.)	19.4.2010	20.4.2010	2010 का 11 26.4..2010
पंद्रहवीं लोक सभा का पांचवा सत्र और राज्य सभा का 220 वां सत्र					
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय					
1	आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2010	9.8.2010 (लो.स.)	17.8.2010	27.8.2010	2010 का 35 8.9..2010
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
2	विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2010	25.11.2009 (रा.स.)	12.8.2010	9.8.2010	2010 का 25 19.8..2010
3	व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम, 2010	4.12.2009 (लो.स.)	18.12.2009 20.8.2010	10.8.2010	2010 का 40 21.9.2010
विदेश मंत्रालय					
4	नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010	12.8.2010 (रा.स.)	26.8.2010	21.8.2010	2010 का 39 21.9.2010
वित्त मंत्रालय					

5	प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010	27.7.2010 (लो.स.)	2.8.2010	9.8.2010	2010 का 26 20.8.2010
6	भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010	8.3.2010 (लो.स.)	2.8.2010	12.8.2010	2010 का 27 24.8.2010
7	विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 2010	5.8.2010 (लो.स.)	5.8.2010	10.8.2010 11.8.2010	2010 का 21 17.8.2010
8	झारखंड विनियोग अधिनियम, 2009	6.8.2010 (लो.स.)	6.8.2010	10.8.2010	2010 का 22 17.8.2010
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
9	नैदानिक स्थापना (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010	15.4.2010 (लो.स.)	3.5.2010	2.8.2010 3.8.2010	2010 का 23 18.8.2010
10	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010	5.8.2010 (लो.स.)	13.8.2010 20.8.2010	26.8.2010	2010 का 32 4.9.2010
11	भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010	6.5.2010 (रा.स.)	31.8.2010	25.8.2010	2010 का 43 26.9.2010
	गृह मंत्रालय				
12	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010	7.8.2009 (लो.स.)	6.5.2010	19.8.2010	2010 का 31 31.8.2010
13	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2010	15.3.2010 (लो.स.)	12.8.2010	27.8.2010	2010 का 41 21.9..2010
14	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010	18.12.2006 (रा.स.)	27.8.2010	19.8.2010	2010 का 42 26.9..2010
मानव संसाधन विकास मंत्रालय					
15	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिणक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010	7.8.2009 (लो.स.)	4.5.2010	3.8.2010 5.8.2010	2010 का 20 16.8.2010
श्रम और रोजगार मंत्रालय					
16	औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010	26.2.2009 (रा.स.)	10.8.2010	3.8.2010	2010 का 24 18.8.2010
विधि और न्याय मंत्रालय					
17	वैयक्तिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010	22.4.2010 (रा.स.)	21.8.2010	17.8.2010	2010 का 30 31.8.2010
18	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010	21.8.2010 (रा.स.)	31.8.2010	30.8.2010	2010 का 36 21.9.2010
खान मंत्रालय					

19	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010	17.10.2008 (रा.स.)	21.8.2010	13.8.2010 17.8.2010	2010 का 34 8.9.2010
पंचायती राज मंत्रालय					
20	झारखंड पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010	12.8.2010 (लो.स.)	17.8.2010	25.9.2010	2010 का 33 4.9.2010
संसदीय कार्य मंत्रालय					
21	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010	25.8.2010 (लो.स.)	27.8.2010	31.8.2010	2010 का 37 21.9.2010
विद्युत मंत्रालय					
22	ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010	8.3.2010 (लो.स.)	4.5.2010	17.8.2010	2010 का 28 24.8.2010
रेल मंत्रालय					
23	विनियोग (रेल) संख्या 4 अधिनियम, 2010	19.8.2010 (लो.स.)	19.8.2010	20.8.2010	2010 का 29 31.8.2010
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
24	परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010	7.5.2010 (लो.स.)	25.8.2010	30.8.2010	2010 का 38 21.9.2010
पंद्रहवीं लोक सभा का छठा सत्र और राज्य सभा का 221 वां सत्र					
वित्त मंत्रालय					
1	विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2010	1.12.2010 (लो.स.)	1.12.2010	2.12.2010	2010 का 44 11.12.2010
2	विनियोग (संख्या 6) अधिनियम, 2010	1.12.2010 (लो.स.)	1.12.2010	2.12.2010	2010 का 45 11.12.2010
	रेल मंत्रालय				
3	विनियोग (रेल) संख्या 5 अधिनियम, 2010	2.12.2010 (लो.स.)	2.12.2010	3.12.2010	2010 का 46 11.12.2010
4	विनियोग (रेल) संख्या 6 अधिनियम, 2010	2.12.2010 (लो.स.)	2.12.2010	3.12.2010	2010 का 47 11.12.2010

परिशिष्ट-3

(देखें पैरा 4.7)

लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 221वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित सरकारी विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2010

II. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

2. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) संशोधन विधेयक, 2010

III. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

3. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधियां) संशोधन विधेयक, 2009
4. तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं, आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनृजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2010
5. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010
6. विदेशी शिक्षा संस्थान (प्रवेश और प्रचालन का विनियमन) विधेयक, 2010
7. उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2010
8. आयुध (संशोधन) विधेयक, 2010
9. सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और प्रकट करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, 2010
10. बांध सुरक्षा विधेयक, 2010
11. प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, 2010
12. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010
13. न्यायिक मानक और दायित्व विधेयक, 2010
14. अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010
15. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) दूसरा विधेयक, 2010
16. कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2010

IV. विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

17. जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009
18. भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2009
19. संविधान (एक सौ बारहवां संशोधन) विधेयक, 2009
20. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रबंधन बोर्ड विधेयक, 2010
21. कंपनी विधेयक, 2009
22. संविधान (एक सौ दसवां संशोधन) विधेयक, 2009
23. संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009
24. मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009
25. सिक्का निर्माण विधेयक, 2009
26. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 2010
27. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2009
28. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
29. वैज्ञानिक और नवाचारी अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010
30. कैदियों का संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010
31. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
32. संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010

राज्य सभा

I. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

II. लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक

2. शैक्षिक अधिकरण विधेयक, 2010 – चर्चा आस्थगित
3. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2010
4. संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010

III. प्रवर समिति को भेजे गए लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक

5. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010

IV. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक जिन पर प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

6. न्यायालय का वाणिज्यिक खंड विधेयक, 2009
7. यातना निवारण विधेयक, 2010

V. स्थायी समितियों को नहीं भेजे गए विधेयक

8. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1992

VI. स्थायी समितियों को भेजे गए विधेयक

9. बीमा विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008
10. विवाह विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010
11. केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010
12. वास्तुविद् (संशोधन) विधेयक, 2010
13. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010
14. भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010
15. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसांइसिज, बंगलौर, विधेयक, 2010

VII. विधेयक जिन पर स्थायी समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

16. प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता विधेयक,1990
17. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
18. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
19. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000
20. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
21. बीज विधेयक, 2004
22. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
23. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
24. ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007
25. श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2005
26. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
27. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005
28. साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005
29. नाविक भविष्य-निधि (संशोधन) विधेयक, 2007

30. निजि जासूसी एजेंसी (विनियमन) विधेयक, 2007
31. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007
32. पीड़कनाशी प्रबंधन विधेयक, 2008
33. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008
34. रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2008
35. राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग विधेयक, 2009
36. रासायनिक हथियार कन्वेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010
37. लोक वित्तपोषित बौद्धिक संपत्ति का संरक्षण और उपयोग विधेयक, 2008
38. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010
39. बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
40. लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2010
41. चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट (संशोधन) विधेयक, 2010
42. कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2010
43. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक, 2010
44. यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010
45. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2010
46. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010

परिशिष्ट – 4

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान रेल और सामान्य बजटों तथा राज्य बजटों पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
(क) रेल बजट							
क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2010-11 के लिए बजट (रेल) का प्रस्तुतीकरण	24.2.2010	1	48	24.2.2010	-	-
*2	वर्ष 2010-11 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा	8.3.2010 9.3.2010	-	20	10.3.2010 11.3.2010	8	13
*3	(i) वर्ष 2010-11 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल) (ii) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) (iii) वर्ष 2007-08 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई। सदस्यों के लिखित भाषणों को सभापटल पर रखा गया। वाद-विवाद पर मंत्रियों के उत्तर भी सभापटल पर रख दिए गए। बिना चर्चा के मांगों पर मतदान/पारित किया गया।)				# # # 	# # # 	# # #
4	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान	19.4.2010	5	32	#	#	#

5	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान	19.8.2010	2	41	#	#	#
@6	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा और मतदान	2.12.2010	0	04	#	#	#
@7	वर्ष 2008-09 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान **@मद संख्या 6 और 7 को बिना चर्चा के मतदान/पारित किया गया।**				#	#	#

(ख) सामान्य बजट

क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) का प्रस्तुतीकरण	26.2.2010	1	46	26.2.2010	-	-
*2	वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा	11.3.2010 12.3.2010	10	01	12.3.2010 15.3.2010 16.3.2010	9	16
*3	चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2010-11 के लिए लेखानुदान मांगें (सामान्य) (ii) वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य) (*मद 2 और 3 पर एक साथ चर्चा की गई)				# # #	# #	# #
4	विदेश मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	20.4.2010	5	08			

5	ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	22.4.2010	6	50			
6	जनजातीय कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2010-11 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान	23.4.2010	5	29			
7	निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और बिना चर्चा के पूर्ण रूप से पारित किया गया:- (1) कृषि (2) परमाणु ऊर्जा (3) रसायन और उर्वरक (4) नागर विमानन (5) कोयला (6) वाणिज्य और उद्योग (7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (8) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (9) कॉर्पोरेट कार्य (10) संस्कृति (11) रक्षा (12) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (13) भू-विज्ञान (14) पर्यावरण और वन (15) वित्त (16) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (17) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (18) भारी उद्योग और लोक उद्यम (19) गृह (20) आवास और शहरी गरीबी उपशमन (21) मानव	27.4.2009	0	05	#	#	#

	संसाधन विकास (22) सूचना और प्रसारण (23) श्रम और रोजगार (24) विधि और न्याय (25) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (26) खान (27) अल्पसंख्यक कार्य (28) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (29) प्रवासी भारतीय कार्य (30) पंचायती राज (31) संसदीय कार्य (32) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (33) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (34) योजना (35) विद्युत (36) लोक सभा (37) राज्य सभा (38) उप राष्ट्रपति (39) सडक परिवहन और राजमार्ग (40) पोत परिवतन (41) लघु उद्योग (42) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (43) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (44) पोत परिवहन (45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (46) अंतरिक्ष (47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (48) इस्पात (49) वस्त्र (50) पर्यटन (51) शहरी विकास (52) जल संसाधन (53) महिला और बाल विकास (54) युवा कार्य और खेल						
8	वर्ष 2007-08 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) पर चर्चा और मतदान	28.4.2010	0	08 (बिना चर्चा के)	#	#	#
9	वर्ष 2010-11 के लिए	5.8.2010	3	27	#	#	#

	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) पर चर्चा और मतदान						
10	चर्चा और मतदान:- (i) वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) (ii) वर्ष 2008-09 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) (यह मांगें बिना चर्चा के मतदान/पारित की गई)	1.12.2010	0	07	#	#	#

(ग) झारखंड राज्य का बजट

क्र.सं.	विषय	लोक सभा			राज्य सभा		
		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय		तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
			घंटे	मिनट		घंटे	मिनट
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (झारखंड) पर चर्चा और मतदान	6.8.2010	1	21	#	#	#

टिप्पणी: # राज्य सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.12)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत 151-356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां – 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां – 240 नहीं – 109 अनुपस्थित – 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.5.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना	10	51

			त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।		
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20
7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां – 190 नहीं – 338 अनुपस्थित – 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 260	17	56

10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.04.1999 16.04.1999 17.04.1999	अस्वीकृत हां – 269 नहीं – 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है – डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां – 275 नहीं – 256	15	11

परिशिष्ट-6

(देखें पैरा 5.5)

दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुर:स्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

<u>लोक सभा</u>

1. इलाहाबाद उच्च न्यायलय (आगरा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2009 - डा. रामशंकर
2. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)- श्री योगी आदित्यनाथ
3. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 25क का अंत:स्थापन) - श्री योगी आदित्यनाथ
4. वन उपज प्रबंध बोर्ड विधेयक, 2010 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
5. कपास उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2009 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
6. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2009 (नई धारा 3ग का अंत:स्थापन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
7. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2009 (धारा 2 का संशोधन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
8. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 253 का संशोधन) - श्री प्रबोध पांडा
9. उत्तराखंड राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2009 - श्री के.सी. सिंह 'बाबा'
10. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुसूची का संशोधन) - श्री के.सी. सिंह 'बाबा'
11. मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक, 2009 - श्री के.सी. सिंह 'बाबा'
12. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 21क का संशोधन)– श्रीमती सुमित्रा महाजन
13. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 243क का संशोधन) - डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
14. इलाहाबाद उच्च न्यायलय (मेरठ में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2010 - श्री राजेंद्र अग्रवाल
15. उत्तराखंड उच्च न्यायलय (नरेंद्रनगर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2010 - श्री सतपाल महाराज

16. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धाराओं 13कख, 13कग और 13कघ का अंत:स्थापन) - श्री जे.पी. अग्रवाल
17. सांस्कृतिक विरासत संरक्षण विधेयक, 2010 - श्री जे.पी. अग्रवाल
18. एक समान शिक्षा विधेयक, 2010 – श्री जे.पी. अग्रवाल
19. प्राइवेट विद्यालय (विनियमन) विधेयक, 2010 - श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
20. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुसूची का संशोधन) - श्री निशिकांत दूबे
21. बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अध्याय IVक का अंत:स्थापन, आदि) - एङ पी.टी. थॉमस
22. बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन, आदि)- एङ पी.टी. थॉमस
23. भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2010 – श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
24. जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2010 - श्री प्रशांत कुमार मजुमदार
25. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (दसवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री मनीष तिवारी
26. शैक्षिक संस्थानों में योग का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2010 - श्री सतपाल महाराज
27. दो संतान सन्नियम विधेयक, 2009 – श्रीमती सुप्रिया सदानंद सूले
28. विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2009 - श्रीमती सुप्रिया सदानंद सूले
29. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2009 (नई धारा 23क का अंत:स्थापन) - श्री वरूण गांधी
30. जाति या धार्मिक अभिधान के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2009 - श्री एल. राजगोपाल
31. राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 2क का अंत:स्थापन) - श्री एल. राजगोपाल
32. बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2010 - श्री अधीर रंजन चौधरी
33. बेराजगारी उन्मूलन विधेयक, 2010 - श्री एन.एस.वी. चित्तन
34. यान-हरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 4क का अंत:स्थापन) - श्रीमती सुप्रिया सूले
35. प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2010 - श्री एन.एस.वी. चित्तन
36. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 85 का संशोधन) – श्री अर्जुन राम मेघवाल
37. कीमत नियंत्रण विधेयक, 2010 - श्री अर्जुन राम मेघवाल
38. निर्धन व्यक्ति कल्याण विधेयक, 2010 - श्री अर्जुन राम मेघवाल

39. जादू-टोना पर पांबदी विधेयक, 2010 - श्री ओम प्रकाश यादव
40. कृषक (वृद्धावस्था पेंशन) विधेयक, 2010 – एड पी.टी. थॉमस
41. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 335क का अंत:स्थापन) - श्री अधीर रंजन चौधरी
42. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति (पहचान) विधेयक, 2010 - श्री सतपाल महाराज
43. स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक, 2010 - श्री प्रदीप टम्टा
44. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 4 का संशोधन, आदि) - श्री राजेंद्र अग्रवाल
45. केंद्रीय विश्वविद्यालय (अध्यापनेतर स्टाफ की सेवा शर्तें) विधेयक, 2010 - श्री जगदंबिका पाल
46. त्रिपुरा उच्च न्यायालय विधेयक, 2010 - श्री खगेन दास
47. बाढ़ नियंत्रण विधेयक, 2009 - श्री जी.एस. बासवराज
48. ग्रामीण क्षेत्रों के मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर कल्याण विधेयक, 2009 - श्री जी.एस. बसवराज
49. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन) - डॉ. संजीव गणेश नाइक
50. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 29कक का अंत:स्थापन) - श्री जे.पी. अग्रवाल
51. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री जे.पी. अग्रवाल
52. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 48क के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन) - श्री जे.पी. अग्रवाल
53. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुसूची का संशोधन) – डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
54. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 आदि का संशोधन) - श्री आनंदराव विठोबा अडसुल
55. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 आदि का संशोधन) - श्री आनंदराव विठोबा अडसुल
56. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 117 आदि का संशोधन) - श्री आनंदराव विठोबा अडसुल
57. उपशामक देखरेख (शिक्षा और प्रशिक्षण) विधेयक, 2010 - श्री ओम प्रकाश यादव
58. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 45क का अंत:स्थापन) - श्री ओम प्रकाश यादव
59. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 279क का अंत:स्थापन)

- श्री ओम प्रकाश यादव

60. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 6 का संशोधन) - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
61. विस्थापित कृषक (पुनर्वास और अन्य सूविधाएं) विधेयक, 2010 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
62. आंगनवाड़ी कामगार (सेवा और अन्य लाभ नियमितिकरण) विधेयक, 2010 – श्री हंसराज गंगाराम अहीर
63. विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2010 - श्री हंसराज गंगाराम अहीर
64. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो विधेयक, 2010 - श्री मनीष तिवारी
65. कलकत्ता उच्च न्यायालय (मुर्शीदाबाद में स्थायी पीठ की स्थापना) विधेयक, 2010 – श्री अधीर रंजन चौधरी
66. पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2010 - श्री अधीर रंजन चौधरी
67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (कतिपय सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2010 - श्री सतपाल महाराज
68. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) - श्री सतपाल महाराज
69. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 (नई धारा 32क, आदि का अंत:स्थापन) - श्रीमती मेनका गांधी

<u>राज्य सभा</u>

1. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2009 - श्री कुमार दीपक दास
2. हथकरघा बुनकर (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2009 - श्री गिरीष कुमार सांघी
3. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन और अनुच्छेद 39 का संशोधन) - श्री गिरीष कुमार सांघी
4. तेजी से बढ़ती जनसंख्या का नियंत्रण विधेयक, 2009 - श्री गिरीष कुमार सांघी
5. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (अनुच्छेद 275 का संशोधन)- डॉ. अखिलेश दास गुप्ता
6. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन) - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता
7. बाल (अधिकार, विकास और कल्याण) विधेयक, 2009 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता
8. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन) - श्री थामस संगमा

9. अवैध आप्रवासियों की घुसपैठ (निवारण, पहचान और विवासन) विधेयक, 2010 - श्री थामस संगमा
10. पूर्वोत्तर पर्यटन संवर्धन बोर्ड विधेयक, 2010 - श्री थामस संगमा
11. बाढ़ और सूखा नियंत्रण विधेयक, 2010 - डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी
12. दो-संतान सन्नियम विधेयक, 2010 - डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी
13. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन) - डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी
14. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 166 से 171 का संशोधन) - श्री प्रकाश जावड़ेकर
15. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 - श्री प्रकाश जावड़ेकर
16. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2010 - श्री प्रकाश जावड़ेकर
17. आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा विधेयक, 2010 - श्री प्रभात झा
18. मानव तस्करी (निवारण) विधेयक, 2010 - श्री प्रभात झा
19. प्रवासी श्रमिक सुरक्षा विधेयक, 2010 - श्री प्रभात झा
20. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 145 के संशोधनार्थ और नए अनुच्छेद 225क का अंत:स्थापन) - श्री एम. रामा जोयिस
21. विवाह विधि विधेयक, 2010 - श्री एम. रामा जोयिस
22. नागरिकों के नामों की शैली का मानकीकरण विधेयक, 2010 - श्री शांताराम लक्ष्मण नायक
23. जनगणना (संशोधन) विधेयक, 2010 - श्री शांताराम लक्ष्मण नायक
24. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 376 का संशोधन) - श्री शांताराम लक्ष्मण नायक
25. जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण विधेयक, 2010 - श्री आर.सी. सिंह
26. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 371त्र का अंत:स्थापन) - श्री भगत सिंह कोशियारी
27. टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट (विनियमन) विधेयक, 2010 - श्री महेंद्र मोहन
28. हिंदु विवाह (संशोधन) विधेयक, 2010 - श्री शादी लाल बत्रा
29. दलित पिछड़े और दमित युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2010 – डॉ. अखिलेश दास गुप्ता
30. युवा बेरोजगारी निवारण विधेयक, 2010 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता

31. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य कर्मकार (संरक्षण, प्रोत्साहन और कल्याण) विधेयक, 2010 - डॉ. अखिलेश दास गुप्ता
32. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 75, 80 और 164 आदि के संशोधनार्थ) - श्री कलराज मिश्र
33. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (नए अनुच्छेद 130 का प्रतिस्थापन) - श्री कलराज मिश्र
34. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (उद्देशिका के संशोधनार्थ)- श्री शांताराम लक्ष्मण नाइक
35. ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2010 - श्री शांताराम लक्ष्मण नाइक
36. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010 - श्री शांताराम लक्ष्मण नाइक
37. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 15 और 16 के संशोधनार्थ) – श्रीमती बृंदा करात
38. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2010 - श्रीमती बृंदा करात
39. सिक्किम राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2010 – श्री ओ.टी. लेपचा
40. विवाह पूर्व अनिवार्य एच.आई.वी. जांच और अन्य उपाय विधेयक, 2010 – डॉ. जनार्दन वाघमारे
41. संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 10 के संशोधनार्थ) - श्री श्रीगोपाल व्यास
42. फल तथा सब्जी बोर्ड विधेयक, 2010 - श्री मोहन सिंह
43. कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2010 - श्री मोहन सिंह
44. राजनैतिक दल (लेखाओं का अनुरक्षण और लेखापरिक्षा) विधेयक, 2010 – श्री मोहन सिंह

परिशिष्ट-7
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए संशोधित दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संघटन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी

प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार

अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

गणपूर्ति (कोरम)

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्तः सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

<u>परामर्शदात्री समिति पर नामांकन</u>

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

1. .....
2. .....
3. .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य:लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

दूरभाष तथा फैक्स नं.

(क) दिल्ली का पता .....

(ख) स्थायी पता .....

सेवा में

निदेशक,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
नई दिल्ली।

परिशिष्ट-8

(देखें पैरा 8.4)

उन मंत्रालयों की सूची, जिनके लिए 15वीं लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं

1	कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3	नागर विमानन मंत्रालय
4	कोयला मंत्रालय और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
5	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7	कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
8	रक्षा मंत्रालय
9	पर्यावरण और वन मंत्रालय
10	विदेश मंत्रालय
11	वित्त मंत्रालय
12	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
14	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
15	गृह मंत्रालय
16	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
17	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
18	श्रम और रोजगार मंत्रालय
19	विधि और न्याय मंत्रालय
20	खान मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
21	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
22	विद्युत मंत्रालय
23	रेल मंत्रालय
24	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

25	ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय
26	पोत परिवहन मंत्रालय
27	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
28	इस्पात मंत्रालय
29	वस्त्र मंत्रालय
30	जनजातीय कार्य मंत्रालय
31	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
32	शहरी विकास मंत्रालय
33	जल संसाधन मंत्रालय
34	महिला और बाल विकास मंत्रालय
35	युवा कार्य और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट-9

(देखें पैरा 8.5)

परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि मंत्रालय तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	6
बैठकों की तारीखें	17.02.2010, 22.04.2010, 07.07.2010, 26.08.2010, 22.10.2010, 02.12.2010
चर्चा किए गए विषय	एवियन इंफ्लूएंजा के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए रणनीति, कृषि शिक्षा, आर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विपणन
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	16.02.2010, 28.04.2010, 17.08.2010, 23.11.2010
चर्चा किए गए विषय	पोषक तत्वों पर आधारित सहायिकी और इसका प्रभाव, देश में प्लास्टिक उद्योग की उन्नति और सी.आई.पी.ई.टी. की भूमिका, देश में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और मूल्य नियंत्रण
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	10.03.2010, 27.07.2010, 15.09.2010, 10.12.2010
चर्चा किए गए विषय	सामान्य चर्चा
कोयला मंत्रालय और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	09.03.2010, 12.08.2010, 29.09.2010, 26.11.2010
चर्चा किए गए विषय	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.), कोयला क्षेत्र में पर्यावरण और वन अनुमति संबंधी मामले, परियोजनाओं की निगरानी, कोयले की गुणवत्ता का परिष्करण के लिए सुधार – वासरीस की स्थापना

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	14.05.2010, 04.11.2010
चर्चा किए गए विषय	वैश्विक आर्थिक संकट के मद्देनजर भारतीय औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन, भारत की निर्यात उपलब्धि और बाजार विविधता की कार्यनीति
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	09.03.2010, 17.07.2010 (गोवा)
चर्चा किए गए विषय	सूचना प्रौद्योगिकी और इलैक्ट्रानिकी उद्योग, ग्रामीण टेलीफोनी में यूनीवर्सल सर्विस ओबलिगेशन फंड की भूमिका
कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	03.03.2010, 29.06.2010, 26.11.2010, 27.12.2010
चर्चा किए गए विषय	सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम और उसका कार्यान्वयन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाएं, निवेशक जागरूकता और शिकायत निवारण तंत्र, राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	10.02.2010, 11.05.2010, 16.11.2010, 22.12.2010
चर्चा किए गए विषय	आयुध फैक्टरी, सीमा सड़क संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा शिपयार्ड
पर्यावरण और वन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	15.01.2010, 10.05.2010
चर्चा किए गए विषय	कोपेनहेगन समझौता, जैव विविधता पर सम्मेलन
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	17.02.2010, 03.09.2010 (मुंबई), 07.12.2010, 14.12.2010
चर्चा किए गए विषय	भारत-यूरोपियन संघ संबंध, विदेशों में भारतीय आर्थिक हितों का अनुसरण, विदेश नीति के औजार के रूप में सांस्कृतिक

	कूटनीति, आसियान देशों के साथ भारत के संबंध
वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	6
बैठकों की तारीखें	18.01.2010, 20.04.2010, 15.07.2010, 17.08.2010, 27.10.2010, 08.12.2010
चर्चा किए गए विषय	बजट-पूर्व परामर्श, वित्तीय समावेश – ग्रामीण बैंकिंग, अवसंरचना वित्तपोषण, अर्थव्यवस्था की स्थिति
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	06.07.2010 (तिरूपति), 18.08.2010, 02.12.2010, 30.12.2010
चर्चा किए गए विषय	संस्थानों को मजबूत बनाना, भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सामान्य अवलोकन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	17.02.2010, 25.08.2010, 08.12.2010
चर्चा किए गए विषय	मेडिकल शिक्षा (डेंटल और नर्सिंग शिक्षा सहित), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की गतिविधियां, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की गतिविधियां/उपलब्धियां
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	1
बैठक की तारीख	21.04.2010
चर्चा किए गए विषय	ऊर्जा क्षेत्र में भावी चुनौतियों से निपटने के लिए भेल की तैयारी, विस्तारण कार्यक्रमों की स्थिति और प्रस्तावित संयुक्त उद्यम इत्यादि
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	6
बैठकों की तारीखें	04.02.2010, 23.04.2010, 03.05.2010, 29.07.2010, 27.10.2010, 09.12.2010
चर्चा किए गए विषय	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, वामपंथी चरमपंथ, तटीय सुरक्षा, जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामले

मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	05.05.2010, 09.08.2010, 27.10.2010
चर्चा किए गए विषय	आई.सी.टी. के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, माध्यमिक शिक्षा का वैश्विकरण, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद में सुधार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	19.02.2010, 14.06.2010 (मुंबई), 09.12.2010
चर्चा किए गए विषय	लोक प्रसारण प्रणाली, भारतीय फिल्म विरासत का संरक्षण, कंटेंट रेगुलेशन
विधि और न्याय मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	07.05.2010, 22.10.2010, 06.12.2010
चर्चा किए गए विषय	कानूनी शिक्षा, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, चुनाव सुधार संबंधी उभरते मामले, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, कानूनी शिक्षा में सुधार, मध्यस्थम अधिनियम में संशोधन, चुनाव सुधार, फैमिली कोर्ट तथा उनका कार्यचालन
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठकों की तारीखें	19.02.2010, 28.04.2010, 25.06.2010 (शिमला), 30.09.2010, 08.12.2010
चर्चा किए गए विषय	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन, .वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान का कार्यचालन, ई.पी.एफ.ओ. का कार्यचालन, खान सुरक्षा महानिदेशालय का कार्यचालन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
खान मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	05.05.2010, 02.07.2010, 02.12.2010
चर्चा किए गए विषय	गैर छूट प्राप्त मंत्रालयों द्वारा 10 प्रतिशत निर्धारित जी.बी.एस. के उपयोग में दक्षता वृद्धि, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड – वर्तमान स्थिति और भविष्य की नीतियां, भारतीय खान ब्यूरो

	(आई.बी.एम.) की भूमिका
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	04.05.2010, 24.05.2010 (चैन्नई), 01.12.2010
चर्चा किए गए विषय	अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें और भारत पर उनका प्रभाव, तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन
विद्युत मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	17.02.2010, 04.05.2010, 24.08.2010
चर्चा किए गए विषय	देश में जलविद्युत का विकास विशेषकर 11वीं योजना के संदर्भ में, दामोदर घाटी निगम, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	23.06.2010, 02.12.2010
चर्चा किए गए विषय	रेलवे में सरकारी-निजी भागीदारी, यात्रियों हेतु उन्मुक्तियां और सेवाएं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	21.04.2010, 11.08.2010, 19.10.2010, 10.12.2010
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की पुनरीक्षा, नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली का कार्यान्वयन, सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का आरंभ – राष्ट्रीय और राज्य रजिस्टर का सृजन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की प्रगति, एस.ए.आर.डी.पी. – एन.ई.
ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	5
बैठक की तारीख	15.02.2010, 13.04.2010, 14.07.2010, 30.08.2010, 19.10.2010 (उदयपुर)
चर्चा किए गए विषय	पंचायती राज, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)/राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन मिशन (एन.आर.एल.एम.), जल-विभाजक विकास

पोत परिवहन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठकों की तारीखें	03.02.2010, 05.05.2010, 08.12.2010
चर्चा किए गए विषय	प्रमुख बंदरगाहों का विकास, राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम, दीप स्तंभ और दीप पोत
सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	05.02.2010, 19.04.2010, 19.07.2010, 19.08.2010
चर्चा किए गए विषय	नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955, भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), मैनुअल स्केवैंजरों के पुर्नवास के लिए स्व-रोजगार योजना (एस.आर.एम.एस.), प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (एम.पी.ए.जी.वाई.)
इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	28.01.2010 (बोकारो), 01.04.2010, 23.07.2010, 13.12.2010
चर्चा किए गए विषय	स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) का कार्यचालन, एन.डी.एम.सी. का कार्यचालन, एच.एस.सी.एल., एम.एस.टी.सी. तथा एफ.एस.एन.एल. का कार्यचालन, मेकॉन, के.आई.ओ.सी.एल. तथा बर्ड समूह की कंपनियों का कार्यचालन
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	09.02.2010, 11.11.2010, 08.12.2010
चर्चा किए गए विषय	हथकरघा और हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और सिल्क, कपास क्षेत्र
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	17.02.2010, 19.05.2010, 17.08.2010
चर्चा किए गए विषय	वन अधिकार अधिनियम – कार्यान्वयन में उपलब्धियाँ, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मेट्रिक के बाद छात्रवृत्ति, जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	3
बैठक की तारीख	09.03.2010, 24.10.2010 (जयपुर), 14.12.2010
चर्चा किए गए विषय	पर्यटन और राष्ट्रमंडल खेल, 2010, भारत में पर्यटन – ईको पर्यटन के विशेष संदर्भ में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)
शहरी विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	11.06.2010, 07.12.2010
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सुधार
जल संसाधन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठकों की तारीखें	19.02.2010, 22.04.2010, 09.08.2010, 23.11.2010
चर्चा किए गए विषय	अधिकार क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम, जल निकायों की मरम्मत, उनका पुनरूद्धार और जीर्णोद्धार, भूजल प्रबंधन
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	4
बैठक की तारीख	18.02.2010, 22.04.2010, 25.06.2010 (नैनीताल), 23.11.2010
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, बाल विवाह, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण – समस्याएं और उपचार, बलात्कार पीड़ित और उनका पुर्नवास
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	2
बैठक की तारीख	12.07.2010, 07.12.2010
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रमंडल खेल, 2010, भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका और कार्यचालन, राष्ट्रीय युवा कोर

परिशिष्ट-10

(देखें पैरा 12.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)	---	श्री शरद अनंतराव जोशी	18.01.2010
2.	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (पर्यावरण और वन मंत्रालय)	श्रीमती चंद्रेश कुमारी	श्री कर्ण सिंह	18.01.2010
3.	वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा की सामान्य परिषद (श्रम और रोजगार मंत्रालय)	श्री विनय कुमार पांडे	श्री राम चंद्र खूंटिया	18.01.2010
4.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सी.डी.टी.ए.सी.) (वित्त मंत्रालय)	श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी श्री सुरेश सी. अंगदी	श्री अशोक एस. गांगुली	18.01.2010
5.	प्रकाशस्तंभ पर केंद्रीय सलाहकार समिति (पोत परिवहन मंत्रालय)	श्री अंतो अंतोनी	श्री जेसुदास सेलम	13.08.2010
6.	सांस्कृतिक संवर्धन बोर्ड (रेल मंत्रालय)	---	श्री जावेद अखतर	27.08.2010
7.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन केंद्रीय सलाहकार समिति (श्रम और रोजगार	राजकुमारी रतना सिंह	प्रो. अल्का बलराम क्षत्रिय	23.09.2010

	मंत्रालय)			
8.	राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन की शासी परिषद (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	श्री संजय भोई श्री अर्जुन राम मेघवाल	श्री अविनाश पांडे	23.09.2010
9.	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद (उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजिनक वितरण मंत्रालय)	श्री चार्लस डायस	श्री विजय दर्डा	23.09.2010
10.	भारतीय खाद्य निगम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की परामर्शदात्री समितियों पर अध्यक्ष अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आंध्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश असम बिहार पंजाब छत्तीसगढ़ दादर और नगर हवेली दमन और दीव दिल्ली	श्री बिष्णु पद राय श्री एम. अंजन कुमार यादव श्री निनोंग इरिंग श्रीमती बिजोय चक्रवर्ती श्री मंगनी लाल मंडल श्रीमती संतोष चौधरी डॉ. चरण दास महंत श्री नतुभाई जी. पटेल श्री लालुभाई बी. पटेल श्री रमेश कुमार श्री श्रीपद वाई. नाईक		

	गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर झारखंड कर्नाटक केरल लक्षद्वीप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मिजोरम नागालैंड उड़ीसा सिक्किम तमिल नाडु त्रिपुरा उत्तरांचल उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल	विठलभाई एच. राडाडिया श्री राव इंद्रजीत सिंह श्री विरेंद्र कश्यप श्री मदन लाल शर्मा श्री बाबु लाल मरांडी श्री ए.एच. विश्वनाथ श्री एम.के. राघवन श्री हमदुल्ला सईद श्री प्रेम चंद गुड्डु श्री अनंत जी. गीते श्री थंगसू बेती श्री सी.एल. रोला श्री सी.एम. चांग श्री अर्जुन चरण सेठी श्री पी.डी. राय श्री टी.आर. बालु श्री खगन दास श्री के.सी. सिंह बाबा श्री नीरज शेखर डॉ. रत्ना डी. नाग		

	चंडीगढ़ पुदुचेरी मेघालय		श्री अश्विनी कुमार श्री पी. कन्नन श्री थॉमस संगमा	
11.	उर्दु भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	श्री जफर अली नकवी श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	श्री जावेद अख्तर	28.10.2010
12.	भारतीय खेल प्राधिकरण का साधारण निकाय (युवा कार्य और खेल मंत्रालय)	मो. अजहरूदीन श्री अर्जुन मुंडा	श्री राजीव शुक्ला	29.10.2010
13.	टिकट संग्रहण सलाहकार समिति (डाक विभाग)	श्री नवीन जिंदल श्री सुरेश सी. अंगदी	श्री विजय दर्डा श्री बलबीर पुंज	29.10.2010
14.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण परिषद (एन.एल.एम.ए) (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	श्री प्रदीप माझी श्रीमती असमेध देवी	श्री पी.जे. कुरियन	03.11.2010
15.	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) (वित्त मंत्रालय)	---	श्री ईश्वर सिंह	15.11.2010
16.	केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच श्री नीरज शेखर	सुश्री सुशीला तिरिया सुश्री अनुसिया उइके	23.11.2010
17.	कोंकण रेल प्रयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (रेल मंत्रालय)	श्री एकनाथ एम. गायकवाड श्री अदगुरू एच.	श्री आस्कर फर्नांडिस श्री शांताराम नाईक श्री बलवंत आप्टे	25.11.2010

		विश्वनाथ श्री श्रीपद येसो नाईक श्री पी. करूणाकरण	श्री एम.पी. अचुतन	

परिशिष्ट-11

(देखें पैरा 12.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	रेल मंत्रालय	डॉ. ज्योति मिर्धा श्रीमती सारिका सिंह बघेल	श्री राशिद अलवी श्रीमती माया सिंह	14.01.2010
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	श्री रमेश कुमार श्रीमती भावना पी. गवली पाटिल	श्री आर.के. धवन श्री राजीव प्रताप रूडी	18.01.2010
3.	उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	डॉ. (श्रीमती) गिरिजा व्यास श्री दिग्विजय सिंह	श्री प्रशांत चटर्जी डॉ. राम प्रकाश	18.01.2010
4.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	श्री जगदीश ठाकुर श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	श्री मोतीलाल वोरा श्री बिरेंद्र प्रसाद बैश्य	18.01.2010
5.	विद्युत मंत्रालय	श्री कमल किशोर श्री मोहन जैना	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी श्री प्रकाश जावडेकर	18.01.2010
6.	गृह मंत्रालय	श्री रतन सिंह श्री प्रबोध पांडा	श्री अभिषेक मनु सिंघवी श्री रवि शंकर प्रसाद	18.01.2010
7.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	श्रीमती दीपादास मुंशी श्री हरि मांझी	श्री आस्कर फर्नांडिस श्री रूद्र नारायण पाणी	18.01.2010
8.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री प्रेम चंद गुड्डू श्रीमती यशोधरा राजे	श्रीमती कुसुम राय श्री राहुल बजाज	18.01.2010

		सिंधिया		
9.	आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय)	डॉ. अरविंद शर्मा प्रो. (डॉ.) राम शंकर	श्री वी. हनुमंत राव श्री बलबीर पुंज	18.01.2010
10.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	श्रीमती संतोष चौधरी श्रीमती मीणा सिंह	श्री सैफ-उ-दीन सोज श्रीमती जया बच्चन	18.01.2010
11.	कृषि और सहकारिता विभाग (कृषि मंत्रालय)	श्री महेश जोशी श्रीमती सीमा उपाध्याय	श्री नरेंद्र बुदानिया श्री जनार्दन वाघमारे	18.01.2010
12.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	श्रीमती प्रिया दत्त श्री राजेन गोहेन	श्रीमती विप्लव ठाकुर श्री भरत कुमार राउत	18.01.2010
13.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	श्री दत्ता मेघे श्री राम चंद्र डोम	श्री प्रवीन चंद्र राष्ट्रपाल श्री बृज भूषण तिवारी	18.01.2010
14.	रक्षा विभाग, डी.आर.डी.ओ. और भूतपूर्व सैनिक कल्याण (रक्षा मंत्रालय)	श्री एन.एस.वी. चित्थन श्री राकेश सिंह	श्री जनाधन द्विवेदी श्री बृजेश पाठक	18.01.2010
15.	इस्पात मंत्रालय	श्रीमती श्रुति चौधरी कु. सरोज पांडे	श्री आर.सी. खूंटिया श्री तारिक अनवर	18.01.2010
16.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	श्री उदय प्रताप सिंह श्री मंगनी लाल मंडल	श्रीमती प्रभा ठाकुर श्री ए. विजयराघवन	18.01.2010
17.	विधि और न्याय मंत्रालय	श्रीमती अनु टंडन डॉ. राजन सुशांत	श्री इ.एम.एस. नटिछिप्पन श्रीमती बृंदा करात	18.01.2010
18.	दूर संचार विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	चौधरी लाल सिंह श्री हरीन पाठक	श्री बी.के. हरिप्रसाद श्री गंगा चरण	18.01.2010

19.	पर्यटन मंत्रालय	श्री मणिकराव गविट श्री दुष्यंत सिंह	श्रीमती मोहसिना किदवई श्री श्याम बेनेगल	18.01.2010
20.	खान मंत्रालय	श्री हरीश चौधरी श्री भोला सिंह	श्रीमती रेणुबाला प्रधान श्री आर.सी. सिंह	18.01.2010
21.	पोत परिवहन मंत्रालय	श्री ओम प्रकाश यादव श्री दलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	डॉ. वी. मेत्रियन डॉ. एम.वी. मेसुरा रेड्डी	18.01.2010
22.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री संजय निरूपम श्रीमती एम. विजय शांति	श्री मो. सेफी श्री स्वप्न साधन बोस	18.01.2010
23.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	श्री चरण दास महंत श्री बालकृष्ण के शुक्ल	श्री शांताराम नाईक श्री एम.ए.एम. रामास्वामी	18.01.2010
24.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री हर्ष वर्धन श्री प्रहलाद जोशी	श्री राजीव शुक्ल श्री नरेश गुजराल	18.01.2010
25.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्री अंजन कुमार यादव श्री सुरेंद्र नागर	श्री नंदी येल्ह श्री कलराज मिश्र	18.01.2010
26.	राजस्व, व्यय, विनिवेश और सी.ए.जी. विभाग (वित्त मंत्रालय)	श्री विनय कुमार पांडे श्री गोविंद प्रसाद मिश्र	श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्ता श्री अश्विनी कुमार	14.01.2010
27.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	--	श्री राजीव चंद्रशेखर	22.03.2010
28.	पर्यटन मंत्रालय	--	श्री गोविंदराव अडिक	17.05.2010
29.	राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)	--	डॉ. अशोक एस. गांगुली	17.05.2010
30.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम	--	डॉ. भालचंद्र मूंगेकर	17.05.2010

	उद्यम मंत्रालय			
31.	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	श्री राज बब्बर श्री दिनेश चंद्र यादव	श्री ओ.टी. लेपचा श्री सतीश चंद्र मिश्र	13.08.2010
32.	विदेश मंत्रालय	श्री पूनम प्रभाकर श्री उदय सिंह	श्री मणि शंकर अय्यर श्री प्यारीमोहन मोहपात्रा	13.08.2010
33.	वस्त्र मंत्रालय	श्री रघुवीर सिंह मीणा श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश	श्री सतीश शर्मा श्री राजकुमार धूत	13.08.2010
34.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री राजा राम पाल श्री जगदानंद सिंह	प्रो. पी.जे. कुरियन श्री प्रभाकर कोरे	13.08.2010
35.	राजस्व, व्यय और सी.ए.जी. विभाग (वित्त मंत्रालय)		श्री प्रेम चंद गुप्ता	13.08.2010
36.	संस्कृति मंत्रालय	सुश्री मीनाक्षी नटराजन श्रीमती मीना सिंह	श्रीमती कपिला वात्सयायन श्री एम. रामा जोइस	13.08.2010
37.	कोयला मंत्रालय	श्री जितेंद्र सिंह श्रीमती ऊषा वर्मा	श्री धीरज प्रसाद साहू श्री राजनीति प्रसाद	17.08.2010
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री दीपेंदर सिंह हुड्डा श्री बैजयन्त पांडा	श्रीमती सुशिला तिरिया श्री प्रभात झा	13.08.2010
39.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	श्री अवतार सिंह भडाना श्री राकेश पांडे	श्री अनिल एच. लाड श्री के.ई. इस्माइल	13.08.2010
40.	अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री मनीष तिवारी श्री कुशलेंद्र कुमार	श्री तपन सेन श्री मनोहर जोशी	13.08.2010
41.	डाक विभाग (संचार और सूचना	श्री नारायण सिंह अमलावे	श्री वाई.पी. त्रिवेदी	13.08.2010

	प्रौद्योगिकी मंत्रालय)	श्री तरूण मंडल	श्री विजय कुमार रूपाणी	
42.	योजना आयोग	डॉ. चरण दास महंत श्री प्रहलाद वी. जोशी	श्री परवेज हाशमी श्री बाल आप्टे	13.08.2010
43.	नागर विमानन मंत्रालय	श्रीमती बोटचा झांसी लक्ष्मी श्रीमती राजकुमारी चौहान	श्रीमती जयंती नटराजन श्री मुख्तार अब्बास नकवी	13.08.2010
44.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग	श्री पी.एल. पुनीया श्रीमती सुशमिता बाउरी	श्री बी.एस. गनदीसिकन श्री भरतसिंह पी. परमार	13.08.2010
45.	वाणिज्य विभाग	श्री आर. सांबाशिव राव श्री हरिभाऊ माधव ज्वाले	श्री विजय दर्डा श्री एस.एस. अहलुवालिया	13.08.2010
46.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	राजकुमारी रत्ना सिंह श्रीमती सुमित्रा महाजन	डॉ. विजयलक्ष्मी साधू श्रीमती बिमला कश्यप सूद	13.08.2010
47.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	श्री दीप गोगोई श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	श्री भुवनेश्वर कलीता श्री कुमार दीपक दास	31.08.2010
48.	पंचायती राज मंत्रालय	डॉ. प्रभा तवियाद श्री प्रहलाद वी. जोशी	श्री अविनाश पांडे श्री समन पाठक	31.08.2010
49.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे श्री नीरज शेखर	डॉ. राम दयाल मुंडा श्री जी.एन. रतनपुरी	19.11.2010

परिशिष्ट-12

(देखें पैरा 12.7)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण
(दिनांक 01.10.2010 की स्थिति के अनुसार)

1.	वेतन	रूपये 50,000/- प्रतिमाह दिनांक 18.5.2009 से
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 1.10.2010 से संसद सदस्यों को अवकाश के दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होते हैं।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 1.10.2010 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 45,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये 15,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 30,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा।
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक काल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, को अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा जब तक कि वे अपना पद नहीं छोड़ देते हैं। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के उपयोग करने के लिए किसी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते

		कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों के लगाने और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक टेलीफोन पर ब्राडबैंड सुविधा भी इस शर्त के अधीन रहते हुए दी जाती है कि किराया रू.1500/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (जिनमें होस्टल आवास शामिल है)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। बिना किराए के फर्नीचर रूपये 60,000/- की आर्थिक सीमा तक स्थायी फर्नीचर और रूपये 15,000/- तक गैर-स्थायी फर्नीचर और मूल्यह्रास पर आधारित फर्नीचर की अतिरिक्त मदों के लिए किराया। प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में

		टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रति वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति। अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 1.10.2010 से रूपये 4,00,000/- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू दर के ब्याज पर। इस धनराशि को 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर वापिस लिया जाएगा। यह अवधि संसद सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।
9.	यात्रा भत्ता	**<u>रेल</u>:** एक प्रथम श्रेणी + एक द्वितीय श्रेणी का भाड़ा **<u>वायुयान</u>**: किसी भी एयरलाइन्स में एक और एक चौथाई वायुयान भाड़ा। नेत्रहीन/शारीरिक रूप से विकलांग संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **<u>स्टीमर</u>** : उच्चतम श्रेणी का एक और 3/5 भाड़ा (भोजन शामिल नहीं है) **<u>सड़क</u>** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010

		से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) सड़क द्वारा यात्रा भत्ता जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।
10.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग

		संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ,जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) सदस्य, उन्हें संसद सदस्य के रूप में उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
11.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	दिनांक 1.10.2010 से, संसद सदस्य के पति/पत्नी सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा कर सकती/सकते हैं, और जब संसद सत्र चल रहा हो, तो इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति दी गई कि ऐसी ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी। यदि सदस्य की पत्नी/पति ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय करती/करता है तो रूपये 16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी गई है। यदि ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है

		तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़ेक, जो भी कम हो, का हकदार होगा/होगी।
12.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:- (क) सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट-13

(देखें पैरा 12.7)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 20,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्षों से अधिक वर्षों के लिए संसद की सदस्यता, बिना किसी अधिकतम सीमा के प्रत्येक वर्ष के लिए रूपये 1,500/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन किसी प्रकार की अधिकतम सीमा के बिना कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी। (iii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन के 50% के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय, यथास्थिति, द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार।

		(iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।
5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	(क) दिनांक 26.4.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कालों, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उन्हें उसमें समायोजित करने की अनुमति होगी।